

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई 2021—श्रावण 1, शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2021

क्र. ई-1-128-2021-5-एक.—श्री अजय गुप्ता, भाप्रसे (2009), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2021

क्र. एफ 1(ए) 84-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री राजेश हिंगणकर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्वालियर रेंज, ग्वालियर को दिनांक 17 मार्च से 04 अप्रैल 2021 तक सत्रह दिवस लघुकृत/परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 34 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

3. अवकाशकाल में श्री राजेश हिंगणकर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

7299

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश हिंणकर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2021

क्र. एफ 1-49-2021-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, नक्सल विरोधी अभियान, पु. मु. भोपाल को पुत्री के इलाज एवं स्वयं के अध्ययन हेतु दिनांक 19 जुलाई 2021 से 10 नवम्बर 2021 तक कुल 115 दिवस (80 दिवस अर्जित अवकाश एवं 35 दिवस अर्द्ध वेतन अवकाश) की अवधि में (USA) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

2. श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री संतोष सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (कानून एवं व्यवस्था), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

3. अवकाश से लौटने पर श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस महानिरीक्षक, नक्सल विरोधी अभियान, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

5. अवकाशकाल में श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2021

पंजी क्र. 2402-2021-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्ति पर विधिक सलाहकार के पद पर लोकायुक्त संगठन, भोपाल में उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुहागपुर जिला होशंगाबाद की

सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय को सौंपता है.

पंजी क्र. 2449-2021-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री युगल रघुवंशी, उप कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल एवं श्री हरीश चन्द्र पटेल, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, सागर का स्थानांतरण नियमित न्यायालय के रिक्त न्यायालयों में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

फा. क्र. 2510-2021-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री नवीन शर्मा, 22वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल में अतिरिक्त सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2021

पंजी क्र. 2446-2021-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्वारा प्रभारी रजिस्ट्रार, कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल, विधिक सलाहकार, मध्यप्रदेश लोकायुक्त संगठन, भोपाल, रजिस्ट्रार (जिला स्थापना) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ निम्नांकित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण नियमित न्यायालयों में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है:—

नाम तथा पद

(1)

श्री सुशांत हुद्दार, प्रभारी रजिस्ट्रार, कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल.

कुमारी जसवीर कौर सासन, विधिक सलाहकार, मध्यप्रदेश लोकायुक्त संगठन, भोपाल.

श्री रविन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत, रजिस्ट्रार (जिला स्थापना) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर.

श्री विवेक पटेल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर.

नवीन पद स्थापना

(2)

पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय, रायसेन की हैसियत से श्री अतुल्य सराफ के स्थान पर.

पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय, साजापुर की हैसियत से श्रीमती सविता दुबे के स्थान पर.

बारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

तेरहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2021

पंजी क्र. 2445-2021-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्ति पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री हेमन्त जोशी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदनावर जिला धार एवं श्री विवेक सक्सेना, सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर की सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

फा. क्र. 2467-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/प्राधिकरणों में सदस्य सचिव एवं सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ निम्नांकित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण नियमित न्यायालयों में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है:—

1. श्रीमती गिरीबाला सिंह, सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर.
2. श्री राजेश कुमार देवलिया, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ.
3. कुमारी श्वेता गोयल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी.
4. श्रीमती शशिकांता वैश्य, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन.
5. श्री आदेश कुमार मालवीय, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल.

फा. क्र. 1-2-90-इक्कीस-ब (एक) 2520-2021.—अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश को, कॉलम (2) में उल्लेखित जिले के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:—

सारणी

स. क्र. (1)	जिला (2)	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (3)
1.	अनूपपुर	श्री आर.सी.एस. बिसेन, सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर.
2	अशोकनगर	श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्र, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर.
3	डिण्डोरी	श्री हिदायत उल्लाह खॉन, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डिण्डोरी.

F. No. 1-2-90-XXI-B(1)2520-2021.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989) the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Sessions Judge/Additional Sessions Judge mentioned in column (3), as Special Judge for districts mentioned in column (2) of the table given below to try the offences under the said Act, namely:—

TABLE

S. No. (1)	District (2)	Sessions Court (3)
1.	Anoppur	Shri R. C. S. Bisen, Sessions Judge, Anoppur.
2	Ashoknagar	Shri Shailendra Kumar Nagotra, ASJ, Ashoknagar.
3	Dindori	Shri Hidayat Ullah Khan, ASJ, Dindori.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2021

शुद्धि-पत्र

पंजी क्र. 2516-2021-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्वारा आदेश क्रमांक 2461-2021-इक्कीस-ब(एक) दिनांक 07 जुलाई 2021 की पंक्ति तीन में निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करता है, अर्थात्:—

उक्त आदेश में श्री अमित निगम, “आठवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1” भोपाल के स्थान पर “तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1” पढ़ा जावे.

गोपाल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2021

फा. क्र. 2492-इक्कीस-ब(एक).—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39) धारा 28 के साथ सहपठित धारा 6 की उपधारा (5) एवं (6), धारा 8 ए की उपधारा (5) एवं (6) धारा 9 की उपधारा (5) एवं (6), धारा 11ए की

उपधारा (3) एवं (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से राज्य सरकार, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी एवं कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2009 में निम्नानुसार संशोधन करती है:—

संशोधन

उक्त नियमों के नियम-7(1)(2) में अंक और शब्द “15 (पन्द्रह) प्रतिशत से अनधिक” के स्थान पर अंक और शब्द “25 (पच्चीस) प्रतिशत से अनधिक” प्रतिस्थापित किया जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वैभव विकास शर्मा, अतिरिक्त सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2021

फा. क्र. 2492-इक्कीस-ब(एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 2492-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 09 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वैभव विकास शर्मा, अतिरिक्त सचिव.

Bhopal, the 15th July 2021

F. No. 2492-XXI-B(1)2520-2021.—In exercise of the powers conferred by Section 28 read with sub-section (5) and (6) of Section 6, sub-section (5) and (6) of Section 8A, sub-section (5) and (6) of Section 9 sub-section (3) and (4) of Section 11A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) the State Government in consultation with Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh State Legal Services Authorities Officers And Employees (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2009, namely:—

In the said rules, in rule 7(1)(2), for figure and words “Minimum 15% (Fifteen) figure and words “Minimum 25% (Twenty Five) Shall be substituted.

VAIBHAV VIKAS SHARMA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2021

पंजी. क्र. 2383-2021-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, तहसील-सीहोरा, जिला जबलपुर में विभागीय आदेश दिनांक 6 जुलाई 1997 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री मोहनलाल पटेल का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, अपर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2021

क्र. एफ 9-1-2010-पचास-1.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दि. 26 दिसम्बर 2017 द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 18 एवं 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये श्री ब्रजेश चौहान, निवासी एफ 115, आकृति फलेमिंगो, ई-एक्सटेंशन, बावड़िया कलां, भोपाल को अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक अथवा उनके द्वारा साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इसमें से जो भी पहले हो, की अवधि के लिये मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया.

(2) श्री ब्रजेश चौहान, सदस्य, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यकाल दिनांक 25 दिसम्बर 2020 को समाप्त होने के फलस्वरूप अधिसूचना दिनांक 24 दिसम्बर 2021 द्वारा उनके कार्यकाल में दिनांक 31 मार्च 2021 तक, अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2021 द्वारा दिनांक 31 मई 2021 तक एवं अधिसूचना दिनांक 1 जून 2021 द्वारा दिनांक 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए वृद्धि की गई है.

(3) राज्य सरकार, एतद्वारा श्री ब्रजेश चौहान, सदस्य, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान कार्यकाल में दिनांक 1 जुलाई, 2021 से दो माह तक की अवधि के लिए वृद्धि करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश सिंह, उपसचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2021

क्र. एफ 11-10-2021-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है।

(2) अतएव मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम, 1964 की धारा 3 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है।

(3) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	अशोकनगर	चंदरी वृत्त उथूबोन.	रामनगर	रामनगर महल	0.125	0.125	शासकीय	नहीं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना पाण्डेय, अवर सचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2021

क्र. एफ 16-40-2020-ए-ग्यारह.—बायलर एक्ट, 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड, बीना, जिला-सागर, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी-5297 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से दिनांक 1 जून 2022 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:—

- संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक, बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।
- उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
- संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी।
- नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलकट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।
- भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी।
- यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है।
- आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा।

क्र. एफ 16-59-2020-ए-ग्यारह.—बॉयलर एक्ट 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड, बीना, जिला-सागर, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4774, एमपी/4775 एवं एमपी/4776 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से निम्नानुसार तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:—

क्र. (1)	बॉयलर क्रमांक (2)	प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि (3)	छूट की अवधि (4)
1	एमपी/4774	12-09-2021	12-09-2022
2	एमपी/4775	12-09-2021	12-09-2022
3	एमपी/4776	12-09-2021	12-09-2022

- संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक, बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
- उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
- संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
- नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
- यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
- आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

क्र. 1110-666-2020-ए-ग्यारह.—बॉयलर एक्ट 1923 की धारा 34(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड, बीना, जिला-सागर, मध्यप्रदेश निम्नानुसार 07 बायलरों को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से कॉलम '4' में उल्लेखित तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:—

क्र. (1)	बॉयलर क्रमांक (2)	प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि (3)	छूट की अवधि (4)
1	एमपी/4847	04-07-2021	04-07-2022
2	एमपी/4846	04-07-2021	04-07-2022
3	एमपी/4840	04-07-2021	04-07-2022
4	एमपी/4801	14-07-2021	14-07-2022
5	एमपी/4802	14-07-2021	14-07-2022
6	एमपी/5292	18-07-2021	18-07-2022
7	एमपी/5293	18-07-2021	18-07-2022

- संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक, बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
- उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
- संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
- नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
- भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385-क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
- यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
- आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग
6 वी मंजिल, विन्ध्याचल भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. 5-4-2012-अट्टावन.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 8(1) 'ख' के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत बने मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) नियम, 2011 के संदर्भ में पंजीकृत शासकीय एवं निजी क्षेत्र की रोपणियों से विक्रय किये जाने वाले निम्नांकित फल-पौधों की वर्ष 2021-22 के लिए अधिकतम दर कॉलम क्रमांक 3, 4 एवं 5 में दर्शाये अनुसार घोषित किया जाता है:—

क्र.	नाम फल-पौध	2वर्षीय पौधे (लंबाई-45 सेमी. से अधिक)	1 से 2 वर्षीय पौधे (लंबाई-45 सेमी. से अधिक)	6 माह से 1 वर्षीय पौधे (लंबाई-30 सेमी. से अधिक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कलमी पौधे

1	आम कलमी (ग्राफ्टेड) सभी किस्में	52	42	विक्रय योग्य नहीं
2	अनार ग्राफ्टेड	30	24	21
3	चीकू (ग्राफ्टेड)	50	40	35
4	अमरूद बडेड	34	27	24
5	मौसम्बी बडेड	30	24	21
6	संतरा बडेड	30	24	21
7	ऑवला बडेड	30	24	21
8	बेर बडेड	33	26	23
9	नाशपाती बडेड	25	20	18
10	अनार गूटी	30	24	21
11	अमरूद गूटी	34	27	24
12	नींबू गूटी	18	14	13
13	लीची गूटी	50	40	35
14	अंगूर रूटेट कटिंग	15	12	11
15	शहतूत (रूटेट कटिंग)	15	12	11
16	केला कन्द	10	8	7

बीजू पौधे

17	आम बीजू	15	12	11
18	अमरूद बीजू	15	12	11
19	नींबू बीजू	15	12	15
20	कटहल बीजू	15	12	11
21	सीताफल बीजू	15	12	11
22	जामुन बीजू	15	12	11
23	फालसा बीजू	15	12	11
24	करौंदा बीजू	10	8	7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	पपीता संकर किस्में बीजू	20	16	14
26	पपीता पौध बीजू (सभी उन्नत किस्में)	15	12	11

टिशूकल्चर पौधे

27	केला टिशूकल्चर	15	12	11
28	नींबू टिशूकल्चर	48	38	34
29	अनार टिशूकल्चर	31	25	22
30	अमरूद टिशूकल्चर	48	38	34

उपरोक्त दरें आगामी अधिसूचना जारी/प्रकाशित होने तक प्रभावशील रहेगी.

- * निजी रोपणियों से तात्पर्य उन रोपणियों से जो कि मध्यप्रदेश फल रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत बने मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन) नियम, 2011 का पालन करती है एवं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से संबद्ध/मान्यता प्राप्त हैं.
- * समस्त शासकीय संस्थान शासकीय रोपणियों पर पौधे उपलब्ध न होने की स्थिति में अनउपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही निजी रोपणियों से पौधे क्रय करेंगे.

मनोज कुमार अग्रवाल, आयुक्त.

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित)

ताज केम्पस, नियर नाजुल मसाजिद, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2021

फ. क्र.-आर-भोपाल-2021.—“कमेटी इंतेजामिया औकाफ ए आम्मा भोपाल के प्रबंधन अधीन संपूर्ण वक्फों को वक्फ अधिनियम, 1995 संशोधित 2013 की धारा 65 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के संकल्प क्रमांक 49, दिनांक 12 जुलाई 2021 के पालन में जारी आदेश क्रमांक 3098, दिनांक 12 जुलाई 2021 के द्वारा सीधे मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रबंधन अधीन लिया गया है”.

जमील खान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार”, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2021

त्रुटि सुधार

क्र. अमृत-वि.यो.-07-सीहोर-नगानि-2021.—क्रमांक 2890, दिनांक 9 जुलाई 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में प्रकाशित प्रारूप सीहोर विकास योजना, 2035 की सूचना के अंतिम पैरा में त्रुटिवश संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, रतलाम मुद्रित हो गया है जिसे रतलाम के स्थान पर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल पढ़ा जावे.

शेष यथावत् रहेगा.

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 08अ-82-19-20-भू-अर्जन-21-6555

सागर, दिनांक 25 जून 2021

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी समाहित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

- (1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : मालथौन
 3. ग्राम : इमलिया खुर्द
 4. पट.ह.नं.- : 61
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 47.480 हैक्ट.

:: अनुसूची -01 ::

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकबा हेक्टे. में.)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पडती	
1	भागवाई बेवा मंगल सोबरन रामदास यशोदा पुत्र मंगल बडीबहू बेवा खेतसींग अजुध्दी शिम्पू पिता मोहन पच्चोवाई अमनोबाई पुत्री सरुवा सा. देह	भूमिस्वामी	177	0.160	0.160	0.000	0.000	बबूल-1
2	गिरवरसींग पिता मर्दन सींग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	227/1	0.580	0.560	0.000	0.020	रूसल्ला 1 सागौन-2 गुरार-1 कोहा-1 बासा-1093 बेल-1 बेरी-1 अमरुद-1 नीबू-1 कूआ गिजी-1 मकान कच्चा छत बरसाती 28.98 वर्गमीटर

3	भगवानसीग पिता मर्दनसीग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	227/2	0.590	0.590	0.000	0.000	सागोन-8 नीम-4 आम-7 सूलबबूल-8 इमली-1 अमरुद-14 कठहल-1 बेरी-3 नीबू-5 आवला-1 जामुन-1
4	कल्यानसीग पिता राजाराम सा. देह	भूमिस्वामी	228/2	0.250	0.000	0.250	0.000	—
5	प्रभाबाई पति तरवरसीग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	228/3	0.400	0.400	0.000	0.000	सागोन-5 सूलबबूल-6 यूकलिपटिस-1 कोहा-1 अस्तो-1 बास-80 बेरी-3 आवला-1 कुआं निजी-1
6	राजाराम पिता देवसीग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	229	1.240	1.000	0.000	0.000	* सूलबबूल-5 बास-113 बेरी-1 नीबू-2 अमरुद-2 कुआं निजी-1
7	राघवेन्द्र सीग पिता दुरगसीग	भूमिस्वामी	230	0.300	0.000	0.300	0.000	छेवला-2 बेरी-2
8	दुरगसीग पिता लोकसीग सा. देह	भूमिस्वामी	231	1.020	1.020	0.000	0.000	टयुबेल
9	कल्यानसीग पोथीबाई सुग्गोबाई हल्लीबाई पुत्री अमरसीग राजबाई बेवा अमरसीग पता इमलिया खुर मालथौन सागर मध्यप्रदेश 5/6 भाग भूमिस्वामी अभिशेख कल्पना खुशबनावा पिता भगवानदास बली मां मल्लोबाई मल्लोबाई पिता भगवानदास बलि मां मल्लोबाई मल्लोबाई बेवा भगवानदास पता इमलिया खुर सागर 1/6 भाग	भूमिस्वामी	232/2	0.360	0.000	0.360	0.000	सूलबबूल-5 बेरी-1
			234/1	0.390	0.390	0.000	0.000	—
10	कल्यानसीग पिता अमरसीग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	232/3	0.170	0.000	0.170	0.000	—
			234/3	0.190	0.190	0.000	0.000	आम-1 नीबू-1
			235	0.170	0.000	0.170	0.000	—
11	मंतु मौजी पिता बुद्धा रामकली बेवा बुद्धा पता इमलिया खुर मालथौन सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग	भूमिस्वामी	233/1	0.150	0.000	0.150	0.000	—
12	चरन पिता रतनसीग पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	233/2	0.140	0.000	0.140	0.000	—
13	घुरके पिता मुलू पता सा. देह	भूमिस्वामी	234/2	0.380	0.380	0.000	0.000	छेवला-1 बास-15
14	प्रीतमसीग पिता प्रानसीग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	236	0.100	0.100	0.000	0.000	सागोन-3 छेवला-1 बास-102 अमरुद-4
15	हरपाल सीह प्रहलाद सीग पिता रतनसीग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	237	0.100	0.100	0.000	0.000	नीम-3 आम-1 सागोन-2 खिन्नी-1

16	चरणसींग प्रानसींग पिता रतनसींग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	238	0.230	0.230	0.000	0.000	सूलबबूल-1 नीबू-1
17	भगतसींग पिता रतनसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	240	0.340	0.340	0.000	0.000	बास-6 आम-3 बेरी-1 अमरुद-15 कठहल-1 मकान कच्चा 22.40 व.मी.
18	पंचमसींग पिता रतनसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	241	0.430	0.430	0.000	0.000	बास-90 नीम-1 आम-4 सूलबबूल-2 अमरुद-9 बेरी-2 नीबू-2 आवला-7 कुआ निजी-1
19	मुलाम जीवन मीरा पिता कुंजी श्याम गनेश राजबाई पूना पिता रगवरपार्वती वारीबाई पुत्री अपरवल पता सा. देह	भूमिस्वामी	282	0.340	0.230	0.000	0.000	छेवला-1
20	चन्दमान सींग पिता बाबूसींग पता सा० देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	283/1	0.680	0.050	0.000	0.000	छेवला-1 बेरी-1
21	राय सींग पिता विजय सींग सा० देह	भूमिस्वामी	283/2	0.330	0.110	0.000	0.000	-
22	पंचम सींग भगतसींग हरपालसींग चरणसींग प्रहलाद सींग प्रानसींग मायाबाई पिता रतनसींग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	285	0.560	0.010	0.000	0.000	-
23	मघतसींग पिता रतनसींग लक्ष्मनसींग पिता रामसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	315	0.230	0.230	0.000	0.000	मुनगा-1 बेरी-1
24	ग्यासींग पिता रामसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	316/1	0.420	0.420	0.000	0.000	ऊमर-1 सूलबबूल-2 बास-200
			319	0.380	0.380	0.000	0.000	अमरुद-3 बेरी-1 नीबू-2 आवला-4 कुआ निजी-1
25	लछमनसींग पिता रामसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	316/2	0.350	0.350	0.000	0.000	-
			317	0.420	0.420	0.000	0.000	सूलबबूल-1 छेवला-1 बास-40 सीताफल-3
			341/2	0.270	0.270	0.000	0.000	-
26	गोविन्द सिंह कीरतसिंह गन्नेभाई पुत्र मानसिंह मीराबाई बेवा मानसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	321	0.210	0.210	0.000	0.000	कसई-1 नीम-1 अस्तो-1 छेवला-2 कुआ निजी-1
27	राजेन्द्र सींग पिता लोकसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	323	0.680	0.680	0.000	0.000	छेवला-4 ऊमर-1 कंजी-1 बहेडा-1 कोहा-1 चिरोल-1 सेमर-1 सागोन-3

28	मायादेवी पत्नि अनिल कुमार जैन पता सा बादरी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	320	0.740	0.740	0.000	0.000	टयुबेल-1 मकान फर्शी छत 13.88 व.मी.
			324	0.500	0.000	0.500	0.000	-
			325	1.660	1.650	0.000	0.010	टयुबेल-1 मकान गाटर फर्शी 27.00 व. मी.
			326/1	1.210	1.210	0.000	0.000	छेवला-9 नीम-5 बेरी-1 चिरोल-1 कुआ निजी-1
			326/2	0.810	0.810	0.000	0.000	कसई-1 बहेडा-2 ऊमर-1 गुजा-3 रेंजा-1 बेरी-2 पीपल-1
29	पूनाबाई पुत्री हरप्रसाद पता मालथोन सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	326/3	5.090	0.000	5.090	0.000	तुन-2 सागोन-2 छेवला-6 बास-130 गुरार-1 शीसम-4 बहेडा-3 कोहा-5 रेजा-5 ऐरमा-1 अस्तो-1 बेल-1, बेरी-4 अंमरुद-1 लकड़ी घास की झोपड़ी 12.95 वर्गमीटर
			327/1	1.810	1.810	0.000	0.000	छेवला-1 बहेडा-1 नीम-2 रेजा-1 खेर-1
30	भगवानसींग लोधी पिता खिलानसींग लोधी पता मालथोन सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	327/2	0.270	0.270	0.000	0.000	-
31	वीरसींग लोधी पिता खिलानसींग लोधी पता मालथोन सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	327/3	0.530	0.530	0.000	0.000	-
32	अनिलकुमार पिता शीलचदजैन पता निवासी ग्राम बादरी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	326/4	4.000	4.000	0.000	0.000	छेवला-1 कुआ निजी-1
33	ऊदलसींग पिता खलकसींग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	328/1	0.470	0.470	0.000	0.000	-
			328/2	0.400	0.400	0.000	0.000	-
			334/3	0.400	0.400	0.000	0.000	कुआ निजी-1
34	गोविन्दसींग हीरतसींग नन्हेभाई पिता मानसींग काशीराम पिता खलक सींग रामकलीबाई भगुन्तीबाई केशर बाई चिन्खाबाई फूलबाई पिता खलकसींग	भूमिस्वामी	328/3	0.040	0.000	0.040	0.000	-
35	उजयार सींग सोवत सींग पिता बल्दू बडी बहु वेवा बल्दू पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	329	0.970	0.960	0.000	0.010	आम-1 बेल-1 नीबू-1 अमरुद-3 कुआ निजी-1

36	उजयारसीग पिता बल्दवानसीग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	334/1	0.400	0.000	0.390	0.010	-
37	जगदीश न वल्द वीरसीग भगवान सीग पिता खिलान सीग पता सा. देह	भूमिस्वामी	334/2	0.400	0.000	0.400	0.000	-
38	ऊदलसीग पिता खलकसीग सोमतसीग पिता बल्दवानसीग पता निवासी ग्राम	भूमिस्वामी	336/1	0.340	0.000	0.340	0.000	-
39	कुसमबाई पति वीरसीग सुखवती पति भगवानसीग जाति लोधी पता सा. देह	भूमिस्वामी	336/2	0.340	0.340	0.000	0.000	-
40	सोमवती पिता दौलत आदिवासी पता मालथौन सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	337	0.700	0.700	0.000	0.000	पीपल-1 छेवला-3 बेरी-2 अमरुद-1
41	किसनसीग पिता दुलारीलाल जाति लोधी पता इमलिया खुर्द मालथौन सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमिस्वामी बखतसीग पिता दुलारीलाल जाति लोधी पता इमलिया खुर्द मालथौन सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमिस्वामी नन्ही बेवा दुलारीलाल जाति लोधी पता इमलिया खुर्द मालथौन सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमिस्वामी पप्पू पिता दुलारीलाल जाति लोधी पता इमलिया खुर्द मालथौन सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	338/1	0.740	0.530	0.000	0.000	सुलबबूल-6 गुरार-1 हडुवा-1
42	हनमतसीग पिता रामसीग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	338/2	0.240	0.000	0.150	0.000	सुलबबूल-4 छेवला-1 रेजा-1
			341/1	0.270	0.270	0.000	0.000	-
			342	0.150	0.150	0.000	0.000	-
			346/2	0.390	0.390	0.000	0.000	नीम-1, बेरी-3 अमरुद-1
43	आशाबाई सुदामाबाई पुत्री घनश्याम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	339	0.910	0.910	0.000	0.000	रेजा-1 सुलबबूल-1 बेरी-3 नींबू-1 आवला-1 अमरुद-1
44	हल्की बहू बेवा रामदयाल शेख पुत्र गोरलाल शीताबाई पुत्री गोरलाल	भूमिस्वामी	340	0.080	0.000	0.080	0.000	-
45	संग्राम बल्द कनई सतेन्द्र ना वा बल्द वा बली बलराम बल्द कनई, भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	343	0.590	0.590	0.000	0.000	-
46	कनई पिता फदाली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	344	0.480	0.480	0.000	0.000	नीम-1
			345	0.350	0.350	0.000	0.000	कुआ निजी-1
47	चित्तरसीग पिता रामसीग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	346/1	0.700	0.700	0.000	0.000	अस्ता-1 कुआ निजी-1
			352	0.350	0.350	0.000	0.000	सागोन-1 बेरी-2 कुआ निजी-1

48	राजागोविन्द सुमन पुष्पा रामदेवी रेखा पिता सरदारसींग सोना बेवा सरदार पता सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमिस्वामी प्रेमसींग गुलाबसींग प्रहलादसींग पिता रंधीरसींग पता सागर मध्यप्रदेश 3/4 भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	347/1	0.840	0.840	0.000	0.000	—
			348/1	0.970	0.970	0.000	0.000	—
			351	0.100	0.100	0.000	0.000	—
			353	0.380	0.380	0.000	0.000	—
			354	0.320	0.320	0.000	0.000	सूलबबूल-1 कुआ निजी-1
49	रामवती पति रतिराम पता सा. मकरोनिया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	347/2	0.400	0.400	0.000	0.000	—
			348/2	0.400	0.400	0.000	0.000	कुआ निजी-1
50	भगवानसींग पिता खिलानसींग जगदीश पिता वीरसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	349	0.800	0.800	0.000	0.000	—
			350	0.890	0.890	0.000	0.000	—
51	वीरसींग भगवानसींग पिता खिलानसींग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	355	1.590	1.590	0.000	0.000	सागोन-2 बबूल-1 छेवला-1 बेरी-5 बहेडा-1 रेजा-1 कोहा-1 आम-2 अमरुद-1 कुआ निजी-1
			359	0.480	0.000	0.480	0.000	छेवला-5 तुन-1 नीबू-1
52	गोटीराम पिता वीरसींग शानसींग ना.वा. पिता भगवानसींग जाति लोधी पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	356/1	0.510	0.510	0.000	0.000	—
			356/2	0.510	0.000	0.510	0.000	—
			358/2	0.410	0.410	0.000	0.000	—
53	वीरसींग भगवान सींग पिता खिलानसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	357	0.820	0.820	0.000	0.000	सेमर-1 कसई-1 गुजा-1 सागोन-2 मुनगा-1
			361	0.800	0.800	0.000	0.000	कुआ निजी-1
54	विशाल ना. वा. पिता भगवानसींग खेतसींग ना.वा. पिता जगदीश पिता वीरसींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	358/1	0.420	0.420	0.000	0.000	—
कुल योग:-			82	49.530	37.910	9.520	0.050	

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिनसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।

- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्राहों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकबा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 में खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. में से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया बिनैका पटवारी हल्का नंबर-35 में खसरा नंबर 270 रकबा 45.020 में से 34.00 हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को

उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सिलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।

(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।

(23) अधिनियम की धारा 3ड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 23/07/2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5- भूमि के नक्शों तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 11अ-82-19-20-भू-अर्जन-21-6556

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी सम्भावित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

- (1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : मालथौन
 3. ग्राम : सेमरा अटा
 4. पट.ह.नं.- : 61
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 69.640 हैक्ट.

स.क्र.	भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वाभित्व का प्रकार	खसरा नंबर	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.में.)			भूमि पर स्थित परि सम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अनीताबाई बेवा घूमनसिंह सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	93	0.700	0.700	0.000	0.000	कोहा-5 रेजा-1
2	चंदन पिता वीरसींग सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	94/1	0.100	0.000	0.100	0.000	कोहा-1
			193	0.060	0.000	0.030	0.000	-
3	मुकेश पिता भगतसींग मीराबाई बेवा भगतसींग सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	94/2	0.100	0.000	0.100	0.000	कोहा-1
4	खलकसिंह पिता मुलु सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	94/3	0.100	0.000	0.100	0.000	कोहा-1
			194	0.040	0.000	0.010	0.000	-
			308	0.510	0.510	0.000	0.000	कोहा-1
			344	0.040	0.000	0.040	0.000	-
5	परवतसिंह पिता भैयालाल सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	95	1.210	1.210	0.000	0.000	कोहा-14
6	द्रोपतीबाई पुत्री हल्का सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	96/1	0.400	0.400	0.000	0.000	कोहा-5
			350/1	0.130	0.130	0.000	0.000	-
			356/1	0.120	0.120	0.000	0.000	-
			380/1	0.080	0.000	0.080	0.000	-

7	भूपेन्द्र सुषमा गुड्डोबाई लक्ष्मीबाई पिता केशरीसिंग सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	96/2	0.400	0.400	0.000	0.000	कोहा-1
			350/2	0.120	0.120	0.000	0.000	-
			356/2	0.130	0.130	0.000	0.000	-
			380/2	0.070	0.000	0.070	0.000	-
8	राजबाई पिता सिरदार सा देह भूमिस्वामी शासकीय संस्था	भूमिस्वामी	98	0.330	0.330	0.000	0.000	सागोन-1 रेजा-1 बेरी-1 छेवला-1
			382	0.140	0.000	0.140	0.000	खेर-1
			383	0.280	0.280	0.000	0.000	रेजा-1 बेरी-1 छेवला-1 कोहा-3 सूलबबूल-2 गुरार-1 रुसल्ला-1
9	लोटनसिंग पिता महतापसिंह सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	180	0.090	0.090	0.000	0.000	-
			306	0.870	0.870	0.000	0.000	-
			335	0.400	0.390	0.000	0.010	गुरार-1 सागोन-1 सूलबबूल-3 बबूल-1 नीम-1 आम-1 करोदा-1 यूकेलिपटिस-1 बास-190 बेल-1 बेरी-3 नीबू-6 आवला-3 अमरुद-8 कुआपक्का-1
			338	0.060	0.050	0.000	0.000	बबूल-1 नीम-1
			396	0.490	0.000	0.490	0.000	-
10	यशवन्तसिंग पिता कल्याण सिंग निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	181	0.060	0.000	0.060	0.000	-
11	चंदन सुजानसिंग पिता वीरसिंग सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	183	0.080	0.070	0.000	0.010	कुआपक्का-1
			184	0.140	0.000	0.140	0.000	यूकेलिपटिस-1 बेरी-1 जामून-1
12	राजासिंग पि. खलकसिंह सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	185	0.200	0.190	0.000	0.010	कुआपक्का-1
13	राजाराम पिता खलनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	196	0.040	0.010	0.000	0.000	-
			303	0.560	0.560	0.000	0.000	कोहा-3 सागोन-3
			343	0.040	0.040	0.000	0.000	-
14	भीकमसिंह पिता कनईसिंग सा. पिथौली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	186/1	0.050	0.000	0.050	0.000	-
15	अमोल सिंग पिता गुलाब सिंग सा. सेमराअटा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	186/2	0.070	0.000	0.070	0.000	-
16	हरनामसिंग पिता पर्वतसिंग साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	187	0.090	0.090	0.000	0.000	-
			301	0.400	0.390	0.000	0.010	कोहा-13 कुआपक्का-1
17	बदनसिंग कल्याण सिंग भूपेन्द्रसिंग पिता गुलाबसिंग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	188	0.320	0.300	0.000	0.000	दयुबवेल-1

18	सजू सिंह पिता नारायण सिंह सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	195	0.040	0.010	0.000	0.000	--
			302	0.620	0.620	0.000	0.000	--
			304	0.340	0.000	0.340	0.000	कोहा-8 बेरी-1 छेवला-4 साज-3
			342	0.04	0.040	0.000	0.000	--
19	सुजान पिता वीरसिंग सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	198	0.240	0.240	0.000	0.000	--
20	खलकसिंह वीरसिंह पि. मुलू अनवीर सिंह दुरगा पि. नत्थू भगतसिंग पि. अनन्तसिंग कस्तूरीबाई बेबा छतरसिंग उषा ना.वा. पुत्री छतरसिंग व वली मां कस्तूरीबाई बेबा छतरसिंगी बड़ीबिन्ना वा. छोटीबिन्ना ना. वा. पुत्री अनन्तसिंग मझलीबहू बेबा अनन्तसिंग सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	199	0.500	0.160	0.000	0.000	अस्तो-1 बेरी-1
21	शंकरलाल पिता भैयालाल सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	200/2	1.180	0.070	0.000	0.000	कोहा-1
			381/2	0.100	0.000	0.100	0.000	--
22	पवन कुमार पिता सनत कुमार भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	242/1	0.800	0.000	0.140	0.000	साज-1 कटजामुन-1
23	हरीसिंग प्रहलाद पिता कडोरी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	242/2	0.310	0.000	0.010	0.000	--
24	केशरीसिंग पि. बखतसिंग सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	243/2	1.210	0.270	0.000	0.000	कोहा-2 साज-2 बेरी-1 सूलबबूल-1 अमरुद-2 आवला-1 कुआं पक्का-1
25	मुलाबाई पति धीरज सिंह निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	244	0.110	0.000	0.050	0.000	--
			248	1.050	0.000	0.040	0.000	रेजा-3
26	जनकसिंह पिता फदाली सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	245/1	0.140	0.140	0.000	0.000	--
27	गोविन्द्र सिंह करतारसिंह साहबसिंह सोबरनसिंह पि. जनकसिंह सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	245/2	0.130	0.130	0.000	0.000	--
28	मन्तूलाल पिता परम निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	246	0.100	0.090	0.000	0.010	बबूल-2 बेरी-1 कुआं पक्का-1
29	कीरतसिंग पिता बखतसिंग पता सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	283/2	0.400	0.000	0.030	0.000	छेवला-1
			305/2	0.740	0.730	0.000	0.010	आम-1 बेरी-1 कुआं पक्का-1
30	भगतसिंग पिता अनतसिंग कस्तूरीबाई बेबा छतरसिंग उषा पुत्री छतरसिंग निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	285	0.880	0.880	0.000	0.000	--
31	बदनसिंग कल्यानसिंग पिता गुलाबसिंग निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	286/1	0.520	0.230	0.000	0.000	--
32	परवतसिंह पिता करनसिंह सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	286/2	0.520	0.520	0.000	0.000	--
			374	0.630	0.000	0.630	0.000	कोहा-7 बेल-1 छेवला-1
			401	0.340	0.340	0.000	0.000	कोहा-9
33	भाईसाहब पिता खलकसिंग राजासिंग पिता भगवानसिंग सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	287	0.550	0.550	0.000	0.000	--
			289	0.610	0.610	0.000	0.000	नीम-1 अस्तो-1 खेर-1 बेरी-4 आवला-1

34	जयसिंह वल्द गंधर्वसिंह पता सा. पिथौली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	288	1.130	1.130	0.000	0.000	-
35	राजासींग पि. देवी सींग पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	290	0.980	0.970	0.000	0.010	साज-1 कुआं पक्का-1 लकड़ी के खम्बों पर घास बरसाती की छत का टपरा 6.30X2.70 वर्गमीटर
36	मल्लोबाई पुत्री कुंदउ धीरतसिंह दुरगसिंह जगतसिंह वल्द रघुनाथ गंधर्व सिंह वल्द बारेलाल हल्कू पिता बुदना भूमिस्वामी मजबूतसिंह पिता गोवर्धन करनसिंह बहादुरसिंह पिता सेतु शीलाबाई पुत्री सेतु भगवानसिंह गुलाबसींग पिता टुन्डे भूरीबाई लच्छीबाई पुत्री टुन्डे नन्हीबाई बेबा टुन्डे पता सा. पिथौली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	291	1.360	1.360	0.000	0.000	कसई-1 उमर-1 अस्तो-1 केम-1 रेजा-1 रुसल्ला-2 सूलबबूल-2 कोहा-6 छेवला-2 महानीम-2 सागोन-7 साज-5 नीबू-5 खेर-5 बेरी-4 अमरूद-2 आवला-7 लकड़ी के खम्बों पर घासपूस की छत का टपरा 6.00X4.00 वर्गमीटर
			294	0.320	0.320	0.000	0.000	कोहा-14 केम-2 उमर-2
37	नन्हीबहू उर्फ जमना पत्ति गुलाबसिंह सा पिथौली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	293	0.540	0.540	0.000	0.000	कसई-1 रेजा-1 सागोन-3 आवला-1
38	देवीसिंह पिता गंधर्वसिंह सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	295/1	0.040	0.000	0.040	0.000	-
			295/2	0.550	0.000	0.550	0.000	-
39	जयसिंह पि. गंधर्वसिंह पता सा. पिथौली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	296	1.360	1.360	0.000	0.000	-
40	सुनील पिता निर्मल कुमार जैन पता सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	297/1	0.840	0.840	0.000	0.000	-
41	वीरसींग पिता मुलु सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	297/2	0.600	0.600	0.000	0.000	-
42	रविन्द्र ना वा पिता भगतसींग वली मां मीराबाई बेवा भगतसींग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	297/3	0.600	0.600	0.000	0.000	-
			197	0.180	0.030	0.000	0.000	-
			323	0.060	0.000	0.060	0.000	-
43	बहादुरसींग पिता सेतुसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	298/2	0.170	0.000	0.170	0.000	-
44	भगवानसींग गुलाबसींग पिता टुडे सींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	298/3	0.110	0.000	0.110	0.000	-
			292/2	0.690	0.690	0.000	0.000	कोहा-2
			366	0.370	0.000	0.370	0.000	कोहा-4 सागोन-2

45	राजकुमार पिता भगवानसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	299	0.270	0.000	0.270	0.000	कोहा-19 सागोन-2 नीम-1 छेवला-1
			364	0.360	0.350	0.000	0.010	कोहा-5 रेजा-1 कुआपक्का-1
			371	1.530	1.530	0.000	0.000	कोहा-7 महुआ-1 पीपल-1 आम-1
46	करनसिंह पिता सेतुसींग पता सा. सेमराअटा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	305/1	1.320	1.320	0.000	0.000	-
			298/1	0.050	0.000	0.050	0.000	-
47	लक्ष्मनसिंह पिता रगवीरसिंह पता सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	307/1	0.740	0.280	0.000	0.000	-
			354/3	0.040	0.040	0.000	0.000	कुआपक्का-1
48	बहादुरसिंह पिता रगवीरसिंह पता सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	307/2	1.340	1.330	0.000	0.010	अमरुद-3 बेरी-1 आम-1 कुआं पक्का-1
			354/1	0.550	0.550	0.000	0.000	अस्तो-1
49	ऊधमसींग पिता रघुवीरसींग पता सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	307/3	1.030	1.010	0.000	0.000	छेवला-3 गुरार-2 अमरुद-1 नीबू-1 आम-1 कुआं कच्चा-1
50	पहारसींग पिता रघुवीर सींग पता सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	307/4	1.030	0.000	1.030	0.000	-
			354/4	0.720	0.720	0.000	0.000	कोहा-7 रेजा-1 छेवला-3 किरवारा-1 सागोन-1
51	रगवीरसिंह पिता मंगलसींग पता सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	309/1	0.030	0.000	0.030	0.000	-
52	इमरतीबाई पत्नि उजयारसिंह पता सा अटाटीला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	309/2	0.400	0.000	0.400	0.000	आस्तो-2 गुरार-1
53	अरविन्द्रसींग ना बा पिता लक्ष्मनसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	309/3	0.400	0.400	0.000	0.000	-
54	प्रदीप संदीप गायत्री पिता चन्द्रराज रामदेव बेबा चन्द्रराज पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	310/1	0.400	0.400	0.000	0.000	कोहा-2 सेमर-1 रुसल्ला-1
55	राजेन्द्रप्रसाद पिता जगन्नाथ पता सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	310/2	0.250	0.000	0.250	0.000	कोहा-2 पीपल-1
			311/2	0.490	0.490	0.000	0.000	सागोन-4 कोहा-1 छेवला-1 आवला-1
			283/1	0.980	0.000	0.080	0.000	-
56	सत्यनारायण पिता जगन्नाथ प्रसाद पता सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	311/1	0.410	0.400	0.000	0.010	रेजा-1 बेरी-2 अस्तो-4 अमरुद-2 कुआं पक्का-2
			313/2	0.400	0.400	0.000	0.000	कोहा-2 सागोन-2 छेवला-1
57	बदीपसाद पिता जगन्नाथ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	312/2	0.500	0.500	0.000	0.000	सागोन-1

58	मथरापसाद पिता जगन्नाथ पसा निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	313/1	0.480	0.480	0.000	0.000	सागोन-5
59	शंकरलाल पिता भैयालाल पता सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	314	0.120	0.000	0.120	0.000	-
60	केतकीबाई बेवा सूरतसींग बाबू जनकसिंह पिता फदाली पता सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	315	0.230	0.000	0.210	0.000	नीम-1
61	बालचंद पिता भैयालाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	316	1.640	1.630	0.000	0.010	सागोन-5 छेवला-1 अस्ती-4 कोहा-1 साज-1 कोशम-1 बेरी-2 बेल-1 कुआं पक्का-1
			334/2	0.070	0.000	0.020	0.000	-
			340	0.24	0.240	0.000	0.000	-
62	रामसिंह पिता गिरधारी पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	317/1	0.220	0.000	0.220	0.000	कोहा-2 गुमेर-1 बेरी-1
63	चरणसींग पिता गिरधारीलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	317/2	0.230	0.230	0.000	0.000	कोहा-1
64	केशरीसींग पिता गिरधारी लाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	317/3	0.230	0.000	0.230	0.000	-
65	विनोदसींग पिता धीरजसींग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	318	0.140	0.000	0.140	0.000	कोहा-4 अस्ती-1 बास-20 सूलबबूल-1 अमरुद-2
66	प्रभाबाई पति जीवनसींग पता बांदरी सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	319	0.240	0.240	0.000	0.000	गुरार-1 बबूल-1 बेरी-3 अमरुद-1
67	जीवन पिता फूलसींग पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	320	0.010	0.000	0.010	0.000	-
			321/1	0.200	0.190	0.000	0.010	बेरी-1 कुआं पक्का-1
			322/1	0.110	0.000	0.110	0.000	बेरी-1
			324	0.060	0.000	0.060	0.000	-
68	केतकीबाई बेवा सूरतसींग बाबसींग जगभानसींग पिता फदाली खलकसींग वीरसींग पिता मुलू पुतरोबाई बेवा मुलु बडीबहू बेवा भपूत भगवानसींग पिता अनतसींग कस्तूरी बेवा छतरसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी उषा पुत्री छतरसींग बडी बिन्ना छोटी बिन्ना पुत्री अनतसींग मझली बहू बेवा अनतसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	322/2	0.110	0.100	0.000	0.010	कुआपक्का-1
69	कुवंरबाई बेवा गुलझारसिंह, अनीताबाई बेवा घूमनसिंह जनरलसींग प्रतिपालसींग पि. घूमनसिंह शंकरसिंह वा. दीनू गब्बू वल्दू ना वा पि. गुलझारसिंह लच्छी बाई कन्तो बाई जानकीबाई गुडडीबाई वा गंगाबाई ना वा पिता गुलझारसिंह पता सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	325	0.400	0.390	0.000	0.010	बबूल-1 कोहा-1 गुरार-1 कुआपक्का-1
			337	0.480	0.000	0.480	0.000	बास-35 बबूल-1

70	मु. इसरार इजहार अनसार पिता मुहम्मद इसराईल राशिदा बेगम बेवा इसराईल सागर भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	328	0.060	0.000	0.010	0.000	-
71	बतीबाई बेवा राकेश सुमत रविंद्र करिश्मा नाबा. पिता राकेश बली मां बतीबाई बेवा राकेश पता सेमराअटा सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	336	0.300	0.300	0.000	0.000	कोहा-2 उमर-1 बेरी-1
72	मानुपतापसींग पिता बर्दन सींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	339	0.170	0.170	0.000	0.000	बास-55 छेवला-1
			341/2	0.180	0.180	0.000	0.000	-
			352/2	0.340	0.340	0.000	0.000	-
73	सुरेन्द्रसींग पिता अमोलसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	341/1	0.240	0.240	0.000	0.000	-
74	अर्जुनसींग पिता रतनसींग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	345/1	0.050	0.000	0.040	0.000	-
75	पप्पूसींग भूरेसींग पिता मंगलसींग तेजाबाई पिता मंगल सींग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	345/2	0.050	0.000	0.040	0.000	-
76	राजबाई पिता सिरदार पता सा. देह शासकीय संस्था	भूमिस्वामी	347	0.080	0.000	0.030	0.000	-
			349	0.270	0.270	0.000	0.000	-
77	द्रोपतीबाई पति नारायणसींग पता सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	348/1	0.090	0.060	0.000	0.000	यूकेलिपटिस-20 सूलबबूल-3 बेल-1 नीम-1 बास-340 बेरी-1 आवला-2
			351	0.790	0.790	0.000	0.000	बबूल-4
78	सूरजबाई पति मर्दनसींग पता सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	348/2	0.210	0.210	0.000	0.000	नीम-1 लकड़ी के खम्बों पर बरसाती की छत का टपरा 8.00X6.00 वर्गमीटर
79	भगवानसींग पिता अमोलसींग पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	352/1	0.100	0.000	0.100	0.000	-
			394/4	0.360	0.000	0.360	0.000	कोहा-1 छेवला-1 उमर-2
80	जमनाबाई वेवा जगन्नाथ पता सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	353	0.740	0.740	0.000	0.000	कोहा-3 गुरार-3 उमर-1 तेदु-1 बबूल-1
81	ऊधमसींग पिता रघुवीरसींग पता सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	354/2	0.890	0.890	0.000	0.000	कोहा-4
82	जगतसींग पिता बटू पता सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	355	0.400	0.400	0.000	0.000	-
83	केशरबाई पति लक्ष्मण सिंह पता सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	357	1.350	1.350	0.000	0.000	किरवारा-1 कसई-1 गुरार-1 आम-1 अमरुद-2
			379	0.240	0.000	0.240	0.000	कोहा-2

84	कुवरबाई बेबा गुलझारसिंह शंकरसींग दीनू गबू बल्लू ना. वा. पिता गुलाझारसिंह लच्छी कल्ली जानकीबाई गुड्डीबाई वा गंगाबाई ना.वा. पि. गुलझार सिंह मंगलसिंह पि. भूरे धनसींग नवावसींग पि. खिलान बड़ीबहू बेबा खिलानसींग राजाराम रंधीरसींग कुन्जनसींग पि. फूलसींग नत्थीबाई पुत्री फूलसींग मंडलीबहू बेबा फूलसींग मानसींग पिता कल्यानसींग जाहरसींग पि. रामसींग संजलीबहू बेबा रामसींग फूलसींग पि. गनेश सावित्रीबाई पुत्री महादेव सरस्वती बाई बेबा महादेव केतकीबाई बेबा सूरतसींग बाबूसींग पि. फदाली खलकसींग वीरसींग पि. मुलू गन्धर्वसींग पि. बारेलाल भगतसींग पि. अनन्तसिंह बडीबिन्ना छोटीबिन्ना ना वा पिता अनंतसिंह अनीता बेबा जनरल सिंह प्रतिपालसींग पि. घूमनसींग कस्तूरीबाई बेबा छतरसींग उषा ना वा पुत्री छतरसींग व वली मां कस्तूरीबाई बेबा छतरसींग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	358	0.770	0.000	0.770	0.000	कसई-1
85	कोमलसींग राघवेन्द्र सींग पिता फूलसींग सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	359	1.410	1.400	0.000	0.010	पीपल-1 छेवला-1 कोहा-3
86	सूरत पिता भूपत पता सा. मगरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	365	0.310	0.000	0.310	0.000	-
87	छतरसींग पिता मजबूतसींग पुष्पाबाई शान्तिबाई पिता मजबूतसींग पता सा. पिथौली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	367	0.980	0.000	0.980	0.000	कोहा-5 उमर-1 छेवला-1 जामुन-1
88	ग्याबाई बेबा चंदनसींग सोवरन मेहताब पिता चंदनसींग पता सा. पिथौली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	369/1 370	0.510 0.690	0.000 0.690	0.510 0.000	0.000 0.000	कोहा-4 कोहा-3 नीम-1 छेवला-2 रुसल्ला-2 रेजा-2 बेरी-3
89	रामसींग धनसींग जोधनसींग गौराबाई पिता वीरसिंह पता सा. पिथौली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	369/2	1.410	1.410	0.000	0.000	कोहा-9 उमर-2 रेजा-1 छेवला-1 अस्तो-1
90	शिवराजसिंह पि. सुम्मेरसिंह पता सा. पिथौली भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	369/3	0.400	0.400	0.000	0.000	कोहा-2 उमर-1
91	कासीबाई बेबा झलकन सींग कल्यानसींग राजेश ना.वा. पि. झलकनसींग आरती मीना भारती ना. वा. पुत्री झलकनसींग वली मां खुद काशीबाई पता सा. बांदरी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	372	1.440	1.440	0.000	0.000	कोहा-10 रुसल्ला-2 छेवला-2
92	श्रीसींग उर्फ कल्याणसिंह पिता झलकन सींग पता सेमराअटा सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	373	1.240	1.240	0.000	0.000	कोहा-3 छेवला-3
93	संतोषसिंह पिता बाबूसिंह पता सेमराअटा सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	375/1	1.050	1.050	0.000	0.000	कोहा-2 वश्क-1
94	रविकुमार पिता मुन्नालाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	375/2	0.400	0.000	0.400	0.000	-

95	राजेश कुमार पिता पन्नालाल सोनी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	376	1.430	1.430	0.000	0.000	-
96	बल्दवान पिता रामदयाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	381/1	0.100	0.000	0.100	0.000	-
			334/1	0.080	0.000	0.080	0.000	-
97	गंधर्वसींग गजेन्द्र सींग राजासींग पिता भगवान सींग शारदाबाई वेवा भगवानसींग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	386	0.570	0.000	0.570	0.000	बबूल-1 कोहा-2 उमर-1 रेजा-1 बेल-1 केहा-1 बेरी-4
98	गोपालसिंह पि. बाबूसिंह पता सा. खिरिया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	387	0.470	0.470	0.000	0.000	कोहा-1
99	भगवानसींग पिता निरभयसींग पता सेमराअटा 1/5 भाग संग्रामसींग पिता निरभयसींग पता सेमराअटा 1/5 भाग जानकीबाई बेवा रामसींग राघवेंद्र पियंका पिता रामसींग पता सेमराअटा 1/5 भाग राजेन्द्रसींग पिता निरभयसींग पता सेमराअटा 1/5 भाग ईश्वरीसींग पिता निरभयसींग पता सेमराअटा 1/5 भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	388	1.060	0.000	1.060	0.000	कोहा-1
100	अनूपसींग भूरे पिता शंकरसींग जाति लोधी सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	389	0.710	0.000	0.710	0.000	कोहा-1 उमर-1
101	गुलाबसींग पिता सिरदार सींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	392	0.450	0.450	0.000	0.000	कोहा-8
102	छोटेलाल पिता घसीटे पता सागर संपूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	393	0.400	0.000	0.400	0.000	कोहा-11 सीसम-1
103	यशपाल सींग ना बा पिता कल्याण सींग निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	394/1	0.340	0.340	0.000	0.000	कोहा-2 उमर-1
			394/2	0.370	0.370	0.000	0.000	कोहा-3
104	बदनसींग पिता गुलाबसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	394/3	0.370	0.000	0.370	0.000	कोहा-4 उमर-1 सेमर-1 बेरी-1
105	जगतसींग पिता मंगलसींग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	395/1	0.130	0.000	0.130	0.000	कोहा-1 सागोन-1
106	हेमराज साधना पिता कल्याणसींग अंगरीबाई बेवा कल्याणसींग पता सेमराअटा सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	395/2	0.130	0.000	0.130	0.000	-
107	पप्पूसींग पिता मंगलसींग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	395/3	0.130	0.000	0.130	0.000	-
108	भूरे सींग पिता मंगलसींग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	395/4	0.130	0.000	0.130	0.000	-
109	साहबसींग पिता हुकुमसींग पता सा. बांदरी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	397	0.980	0.980	0.000	0.000	-
110	गोपालसिंह जगभानसिंह चौहानसिंह पिता करनसिंह पता मालथौन सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	398/1	0.220	0.000	0.220	0.000	-
111	पानबाई बेवा अनंतसींग पता सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	398/2	1.310	0.000	1.310	0.000	कोहा-4
112	भूर सींग पिता मंगलसींग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	400	0.250	0.250	0.000	0.000	कोहा-3 उमर-1 पीपल-1 रुसल्ला-1
कुल:-			171	76.620	52.530	16.960	0.150	

- 2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
 - (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
 - (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
 - (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
 - (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या (ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
 - (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
 - (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुम्ब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
 - (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किय गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
 - (9) प्रभावित कुटुम्बों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
 - (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
 - (11) प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
 - (12) प्रभावित कुटुम्बों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
 - (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुम्ब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकबा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 में खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. में से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया विनैका पटवारी हल्का नंबर-35 में खसरा नंबर 270 रकबा 45.020 में से 34.00 हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वसिन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के

तहत एक 30x 50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सिलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।

- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावेत ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय हगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 23/07/2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 136अ-82-17-18-भू-अर्जन-21-6638

सागर, दिनांक 30 जून 2021

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी समाहित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

- (1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीघ्र कार्य
 (2) भूमि का विवरण
- | | | |
|-----------------------------|---|------------|
| 1. जिला | : | सागर |
| 2. तहसील | : | बण्डा |
| 3. ग्राम | : | राखसी |
| 4. पट.ह.नं.- | : | 13 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 20.490 हे. |

:: अनुसूची - 01 ::

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकबा हेक्टे.में.)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रानीबहू वेवा करनसिंग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/1	0.470	0.470	0.000	0.000	रेंजा-1 कोहा-2
2	शारदा पति सीताराम लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3/2	0.240	0.000	0.240	0.000	-
			12	0.300	0.300	0.000	0.000	-
3	हीरासिंह वल्द खुमानसिंह प्यारीबाई जोजे हीरासिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4/1	0.220	0.220	0.000	0.000	बबूल-1 रेंजा-4 हडुवा-4
			15/1	0.010	0.000	0.010	0.000	-
			18/1	0.240	0.150	0.000	0.000	-
			21/2	0.280	0.280	0.000	0.000	बबूल-1
			22/1	0.060	0.060	0.000	0.000	-

4	प्रहलाद पिता खुमानसिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4/2	0.210	0.210	0.000	0.000	-
			15/2	0.010	0.000	0.010	0.000	-
			18/2	0.230	0.190	0.000	0.000	-
			19	0.140	0.140	0.000	0.000	-
			21/3	0.280	0.280	0.000	0.000	कोहा-1
			22/2	0.050	0.050	0.000	0.000	कोहा-1 बबूल-2
			407/3	0.960	0.040	0.000	0.000	-
5	रमेश वल्द बिरजा चढार पता सा देह सेवा खातेदार	भूमि स्वामी	5	1.750	1.750	0.000	0.000	बबूल-1
			8	0.720	0.360	0.000	0.000	-
			16	1.060	1.060	0.000	0.000	उमर-1 पीपल-1
			34	0.060	0.020	0.000	0.000	-
6	तेजसिंह सुखसिंह नन्नेभाई पिता नत्थूसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/1	0.220	0.220	0.000	0.000	-
			7/1	0.850	0.840	0.000	0.010	रेंजा-4 बबूल-1 कुआपक्का-1
			10/1	0.200	0.200	0.000	0.000	-
7	मजबूत पिता अपरबल लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/2	0.030	0.000	0.030	0.000	-
			7/3	0.200	0.200	0.000	0.000	-
8	डिल्ली मुलाम सोहनसींग पिता धनसींग कल्लो बाई पार्वती खुरगो पुत्री धनसींग	भूमि स्वामी	6/3	0.080	0.080	0.000	0.000	-
			7/4	0.400	0.090	0.000	0.000	बबूल-1
			10/2	0.200	0.200	0.000	0.000	-
			11	0.220	0.220	0.000	0.000	-
9	बीरसींग रामसींग पिता मलखानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/4	0.080	0.080	0.000	0.000	-
			7/5	0.800	0.800	0.000	0.000	-
10	कड़ोरी पिता अपरबलसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/5	0.040	0.040	0.000	0.000	-
			7/6	0.200	0.200	0.000	0.000	-
11	पूरनसींग पिता सूरजसींग पता सा मक भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	31	1.260	1.260	0.000	0.000	बबूल-1 रेंजा-7
			33/1	0.680	0.680	0.000	0.000	सेमर-1 रेंजा-2 बबूल-1
12	रामचरन पिता बल्दवान सींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7/7	0.160	0.160	0.000	0.000	-
13	कल्यानसींग वल्द मलखानसींग मलखानसींग मजबूतसींग पिस. अपरबलसींग डेलनसींग वल्द धनसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9	1.210	1.200	0.000	0.000	रेंजा-1 बबूल-1
14	मंगलसींग वल्द नत्थूसींग गजराजसींग पिस. कीरतसींग माधव बहादुर पिस. मर्दनसींग श्यामबाई दे. मर्दनसींग गोपी बेवा झलकनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/1	0.410	0.410	0.000	0.000	-
15	रगबीर लाखन महेन्द्र सुखसींग पिस. रतनसींग जगरानी बेवा रतनसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/2	0.090	0.090	0.000	0.000	-

16	मंगल वल्द नत्थूसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14	0.230	0.230	0.000	0.000	--
17	भैयाराम प्रीतम पिस. शेवसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15/3	0.020	0.000	0.020	0.000	--
			18/3	0.470	0.070	0.000	0.000	--
			21/4	0.380	0.380	0.000	0.000	रेंजा-1
			22/3	0.100	0.100	0.000	0.000	--
18	भानू राजकुमार वा. हरीराम ना. वा. पिस. रमेश लक्ष्मी वा. अन्जु ना. वा. पुत्री रमेश पालक व खुद मां अशोकरानी वेवा रमेशनिखिल ना वा आकाश नावा शिवानी ना.वा खुशबू ना.वा वली व खुद मां गोमती बाई वे. मुकेश पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/1	0.070	0.000	0.060	0.000	--
19	नीरज नावा. पिता प्रहलाद सिंह विकास नावा. पिता राकेश सिंह वली प्रहलाद सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17/2	0.200	0.120	0.000	0.000	--
20	माधव रम्भू खचौड़ी पिस. ललजू फूलरानी वेवा ललजू सा देह महेन्द्रसिंह पिता जगदीश सिंह पता सा मऊ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	20	0.330	0.330	0.000	0.000	कोहा-1
21	सिंगाररानी वेवा जुझारसींग इंदरसींग विक्रमसींग विपत पिस. जुझारसींग कल्लोबाई वेवा दिब्बन गब्बर ना. वा. पि. दिब्बन लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	21/1	0.190	0.180	0.000	0.010	बेल-1 कुआपवका-1
22	पप्पू हरनाम पिता जोधनसिंह महतापसिंह भैयाराम मोहनसिंह पिता सुम्भेरसिंह पता राखसी सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	24	3.840	0.620	0.000	0.000	--
			87	0.490	0.300	0.000	0.000	आवला-1 रेंजा-1 छेवला-1 गुरार-5 बबूल-5 सूलबबूल-5 कोहा-8
23	दरयावसींग पिता सूरजसींग पता सा मऊ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	97	0.110	0.010	0.000	0.000	--
			32	0.510	0.510	0.000	0.000	--
24	जोधनसींग पि. फुलसींग लोधी पता सा राखसी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	33/2	2.180	0.700	0.000	0.000	--
			88/1	0.310	0.310	0.000	0.000	अमरुद-1 कोहा-4 केश-1 बबूल-1
25	कल्यान पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	405/1	0.630	0.060	0.000	0.000	रेंजा-1
			88/2	0.060	0.060	0.000	0.000	आवला-2 आम-2 नींबू-1 अमरुद-1 छेवला-1 कोहा-3 केश-1 सूलबबूल-10 कटयंदन-3 बबूल-3कोहा-1
			405/2	0.150	0.060	0.000	0.000	--

26	मंगलसींग पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	88/3	0.060	0.060	0.000	0.000	आम-3 बेरी-1 कोहा-2 बबूल-1
			405/3	0.150	0.030	0.000	0.000	-
27	भूरेसींग पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	88/4	0.060	0.060	0.000	0.000	अमरुद-1 नींबू-1 आम-6 कोहा-2 सूलबबूल-1
			405/4	0.150	0.050	0.000	0.000	-
28	अनतसींग पिता हरीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	88/5	0.060	0.060	0.000	0.000	आम-1 कोहा-1 बबूल-2
			405/5	0.150	0.050	0.000	0.000	-
29	नरेन्द्र पिता हरीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	88/6	0.060	0.000	0.060	0.000	बेरी-1 आम-1 महुआ-1 बबूल-2
			405/6	0.150	0.010	0.000	0.000	-
30	नारायण पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	88/7	0.060	0.060	0.000	0.000	कोहा-2 सूलबबूल-1 बबूल-3
			405/7	0.150	0.030	0.000	0.000	-
31	मैयाराम पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	88/8	0.060	0.060	0.000	0.000	बबूल-3 कोहा-3 सूलबबूल-23
			405/8	0.150	0.040	0.000	0.000	-
32	मथुरा बाई बेवा दीनदयाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	88/9	0.060	0.060	0.000	0.000	आम-1 नींबू-1 कोहा-5 केम-1 बबूल-7
			405/9	0.150	0.020	0.000	0.000	-
33	पप्पूराम जी सुखसींग ना.वा. पिता दीनदायाल डबो ना वा पुत्री दीनदयाल पालक व खुद मां मथुराबाई बेवा दीनदयाल भूमि स्वामी लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	89	0.040	0.000	0.020	0.000	बेरी-1 सूलबबूल-2 कोहा-2
34	पंचमसिंह शंकर रामचरण पजनसिंह पिता वल्दवान पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	92	0.050	0.000	0.010	0.000	-
			98	0.130	0.010	0.000	0.000	-
35	मंगलसींग वल्द नथूसींग गजराजसींग पिस. कीरतसींग माधव बहादुर पिस. मर्दनसींग श्यामबाई वे. मर्दनसींग गोपी बेवा झलकनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	93	0.190	0.010	0.000	0.000	सूलबबूल-1
36	कल्लू पिता बलदेवप्रसाद पता कुडारी सागर सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	408/1	0.500	0.080	0.000	0.000	-
37	शेखर पिता बल्देप्रसाद पता कुडारी सागर सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	408/2	0.500	0.090	0.000	0.000	-

38	पर्वतसींग व दौलतसींग लटकनसींग व हुकुमसींग वीरेन्द्रसींग राजेन्द्र सींग व लटकनसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	99	0.340	0.340	0.000	0.000	बबूल-1
39	खूबसींग पिता प्यारेसींग पता सा मऊ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	403/1	0.830	0.750	0.000	0.000	उमर-1 बबूल-1
			404	0.430	0.200	0.000	0.000	-
40	अशोक सींग पिता प्यारेसींग पता सा मऊ भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	403/2	1.260	1.260	0.000	0.000	रंजा-3
41	सिंगाररानी बेवा जुझारसींग इंदरसींग विक्रमसींग विपत पिस. जुझारसींग कल्लोबाई बेवा दिब्बन गम्बर ना वा पि. दिब्बन लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	407/1	0.390	0.050	0.000	0.000	-
42	हीरासिंह वल्द खुमानसिंह प्यारीबाई जोजे हीरासिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमिस्वामी	407/2	0.570	0.040	0.000	0.000	रंजा-1
कुल योग:-			82	31.590	20.010	0.460	0.020	

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किय गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

3— अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकबा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 81 में खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. में से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया बिनैका पटवारी हल्का नंबर-35 में खसरा नंबर 270 रकबा 45.020 में से 34.00 हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30x 50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (22) उपरोक्तानुसार लाम एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाम प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
- 4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 13/07/2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

शशि मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.

प्ररूप-क
(नियम 4 देखिए)

क्र. 12अ-82-21-22-भू-अर्जन-21-6640

मौजा डोभी पट.ह.नं.-07 तहसील रहली

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्र में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर सभाग सागर
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	चनौआ-जूना जामघाट मार्ग के कि.मी. 19/10 कैथ नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रहली 3- राजस्व निरीक्षक रहली 4- सरपंच ग्राम पंचा. नरसिंहपुर पिपरिया वि.ख. रहली 5- सचिव ग्राम पंचा. नरसिंहपुर पिपरिया वि.ख. रहली
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	रहली
(ग)	ग्राम/नगर	डोभी
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	मकान अनुमानित क्षेत्रफल 233.64 वर्गमीटर जो शासकीय भूमि खसरा नंबर 98 पर निर्मित है
(ङ)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	शासकीय भूमि खसरा नंबर 98 पर निर्मित एक कच्चा मकान अनुमानित क्षेत्रफल 233.64 वर्गमीटर
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	चनौआ-जूना जामघाट मार्ग के कि.मी. 19/10 कैथ नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	मकान अनुमानित क्षेत्रफल 233.64 वर्गमीटर जो शासकीय भूमि खसरा नंबर 98 पर निर्मित है
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

(धारा 6 देखिए)

क्र. 102-अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-6718

सागर, दिनांक 2 जुलाई 2021

मौजा आगासौद पट.ह.नं.-34 तहसील बीना

मुख्य परियोजना अभियंता-॥ रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के प्रस्ताव अनुसार द्वारा बीना से कोटा (282.66 कि.मी.) नई बड़ी दोहरी रेलवे लाइन हेतु समुचित सरकार मौजा आगासौद पटवारी हल्का नंबर-34 तहसील बीना जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 399, 402, 404/1, 404/2, 405, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4 रकवा क्रमशः 1.660, 0.860, 0.190, 0.950, 2.630, 0.790, 1.190, 1.190, 1.190 हे. में से कुल रकवा 1.473 हे. भूमि का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:- प्ररूप-ख एवं ग

प्रारूप-ख
(नियम-5 देखिए)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	मा. ला. पौड़ी - जे. म. हा. ड. प. ल. ड. नई बरी लीवरी रेल
2	लोक प्रयोजन	आमजन के सुगम आगमन हेतु, बीना से कोटा नई बड़ी होटरी रेलवे लाइन के खण्ड में रेलवे लाइन का निर्माण।
3	स्थल	आ. गा. (पौड़), प. ड. नं. 34
4	परियोजना का क्षेत्र	1.473 हे०
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है।
6	विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	मुख्य परियोजना अभियंता - II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा
7	परियोजना निर्माण के चरण	भूमि अधिग्रहण की जाकर समतलीय उपरांत योजनाबद्ध तरीके से रेलवे लाइन विद्यमान है।
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	संलग्न हैं।
9	परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि	1.473 हे०
10	भूमि का मूल्य	वर्ष 2020-21 की गाइड लाइन अनुसार
11	प्रभावित परिवारों/कुटुम्ब की संख्या	13
12	परिसंपत्तियाँ	पत्रक संलग्न हैं।
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या	निरंक
14	सामाजिक समाघात	निरंक
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया	निरंक
16	निष्कर्ष	प्रस्तावित भूमि का क्षरण किया जाना उचित होगा।

प्रारूप-ग
(नियम-5 देखिए)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय :-

ग्राम-

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	कृषि (विशेष प्रभावित न होने से निरंक)
2	लोक और सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ	यत्रक संतान है।
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़के, लोक परिवहन	निरंक
4	जल-मल निकासी एवं स्वच्छता	निरंक
5	पेयजल के स्रोत	निरंक
6	पशुओं के लिए जलस्रोत	निरंक
7	सामुदायिक तालाब	निरंक
8	जन सुविधाएँ	निरंक
9	वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि-वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा	निरंक
10	अतिरिक्त उपाय	अपेक्षक निकाय सामाजिक समाधान निश्चित प्रक्रिया और जनसुविधाओं के निष्कर्षों के अंतर्गत में इनका जितना लगे हुए सरयत है।

परिसम्पत्तियों का वितरण पत्रक (अनुलग्नक-1)

विषय :- सालखेड़ी से महादेव खेड़ी नई बड़ी तीसरी रेल लाइन के निर्माण

मौजा - आगासौद, पं. नं. 34

क्र.	भू-स्वामियों का नाम	खसरा नंबर	परिसम्पत्तियों का नाम	रिमांक
1	2	3	4	5
1.	कलेक्टर सिंह पिता बाबू सिंह पता सा. बिलाखना भूमि स्वामी	399	निरंक	-
2.	होटेराल गुलाबचंद पिता शिखरचंद जाति जैन पता सा. देह भूमि स्वामी	402	निरंक	-
3.	होटेराल गुलाबचंद पिता शिखरचंद जाति जैन पता सा. देह भूमि स्वामी	404/1	निरंक	-
4.	रामरतन राजाराम सीनाराम पिता देवी पता सा. देह सागर	404/2	निरंक	-
5.	रामगोपाल पिता दीनदयाल सा. देह	405	निरंक	-
6.	तुलाराम पिता गोपाल सा. देह	406/1	निरंक	-
7.	भैरालाल पिता गोपाल सा. देह	406/2	निरंक	-
8.	जमनाप्रसाद पिता गोपाल सा. देह	406/3	निरंक	-
9.	रामसेवक पिता बाबूलाल जाति नामदेव सा. ग्राम बरोदिआ नोनगर	406/4	निरंक	-
10.	मूलचंद पिता हरौराम सा. देह	406/1317	निरंक	-
11.	रेखा पति विजय नामदेव सा. ग्राम- कुलवार	406/5	निरंक	-

क्र. 105-अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-6720

(धारा 6 देखिए)

मौजा कलरावनी पट.ह.नं.-42 तहसील बीना ।

मुख्य परियोजना अभियंता-II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के प्रस्ताव अनुसार द्वारा मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी रेल लाइन के निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा कलरावनी पटवारी हल्का नंबर-42 तहसील बीना जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 89 रकवा क्रमशः 8.050 हे. में से कुल रकवा 0.346 हे. भूमि का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:- प्ररूप-ख एवं ग

प्ररूप-ख

(नियम-5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी
2	लोक प्रयोजन	आ.म.अ.न. डे.सु.अ.म.आ.वा.ग.म.न. डे.सु.म.ल.खे.डी - महादेवखेड़ी रेलवे लाइन का निर्माण
3	स्थल	ग्राम - कलरावनी, खसरा नंबर 89 रकवा 8.050 हे. में से 0.346 हे.
4	परियोजना का क्षेत्र	0.346 हे.
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	प्रस्तावित आगे के आबिर्भूत तीसरी रेलवे लाइन हेतु अन्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।
6	विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	उप श्रृंखला अभियंता निर्माण - II उच्च मध्य रेलवे अंश 1
7	परियोजना निर्माण के चरण	आगे अर्थात् अंश 1 वीं जांच (वर्तमान) उपरोक्त योजना में से तीसरी लाइन विधानी है।
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	संलग्न है।
9	परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि	0.346
10	भूमि का मूल्य	2020/21 की गारंटी खर्च के अन्तर्गत
11	प्रभावित परिवारों/कुटुम्ब की संख्या	01
12	परिसंपत्तियाँ	संलग्न है।
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या	निरंश
14	सामाजिक समाघात	निरंश
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया	निरंश
16	निष्कर्ष	प्रस्तावित भूमि मालखेड़ी-महादेवखेड़ी तीसरी लाइन के लिए ही पारदर्शिता पुनर्व्यवस्थापन नहीं होगा, प्रस्तावित अर्जित भूमि अर्जन के लिए उपलब्ध है।

प्रारूप-ग
(नियम-5 देखिए)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय :-
ग्राम-

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	निरंक
2	लोक और सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ	निरंक
3	आस्तियाँ और अधोसंरचना विशेषकर सड़के, लोक परिवहन	निरंक
4	जल-मल निकासी एवं स्वच्छता	निरंक
5	पेयजल के स्रोत	निरंक
6	पशुओं के लिए जलस्रोत	निरंक
7	सामुदायिक तालाब	निरंक
8	जन सुविधाएँ	निरंक
9	वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि-वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा	जल निकास हेतु उचित व्यवस्था
10	अतिरिक्त उपाय	अपेक्षक निकाय संलग्न है।

परिसम्पत्तियों का विवरण पत्रक (अनुलग्नक-1)

विषय :- सागर जिले के श्रीना क्षेत्रान्तर्गत मालखेड़ी केमण्डोकेण्डेरी गरीसरी रेलवे लाइन
का निमण्डि ।

मौजा- ग्राम- कलरावली प. ए. नं. 42 रा. नि. अ. - श्रीना तह - श्रीना जिला- सागर

क.	भू-स्वामियों का नाम	खसरा नंबर	परिसम्पत्तियों का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	प्रभुदयाल जिता दीना नाथ साहू भूमिस्वामी	२९	—	—

क्र. 106-अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-6722

(धारा 6 देखिए)

मौजा निबोदा पट.ह.नं.-42 तहसील बीना

मुख्य परियोजना अभियंता-II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के प्रस्ताव अनुसार द्वारा बीना से कोटा (282.66 कि.मी.) नई बड़ी दोहरी रेलवे लाईन हेतु समुचित सरकार मौजा निबोदा पटवारी हल्का नंबर-42 तहसील बीना जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 57/1, 57/2 रकवा क्रमशः 1.300, 1.300 हे. में से कुल रकवा 0.20 हे. भूमि का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:- प्ररूप-ख एवं ग

प्ररूप-ख

(नियम-5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	बीना से कोटा नई बड़ी दोहरी रेलवे लाइन
2	लोक प्रयोजन	राज्य के सुगम सुव्यवस्था हेतु रेलवे लाइन स्थिति
3	स्थल	मौजा- निबोदा, प.ह. नं. 2)
4	परियोजना का क्षेत्र	0.20 हे. कुल प्रस्तावित 0.20 हे.
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नई प्राप्त नहीं
6	विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	मुख्य परियोजना अभियंता-II रेल विकास निगम लिमिटेड
7	परियोजना निर्माण के चरण	भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है दोहरी रेलवे लाइन विद्यमान है
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	- संलग्न है।
9	परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि	0.20 हे.
10	भूमि का मूल्य	- वर्ष 2020-21 जाईएलएन के अनुसार
11	प्रभावित परिवारों/कुटुम्ब की संख्या	03
12	परिसंपत्तियाँ	पशु-पक्षी से संलग्न है
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या	-निरंक)
14	सामाजिक समाघात	निरंक-
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया	निरंक
16	निष्कर्ष	प्रस्तावित भूमि कोटा से कोटा नई बड़ी दोहरी रेलवे लाइन के लिए परिवार पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

प्रारूप-ग
(नियम-5 देखिए)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय :-
ग्राम-

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	रूढ़ि (विशेष प्रमाणात न लेने से. तिरु)
2	लोक और सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ	परिसम्पत्ति पर्यन्त पर्यन्त
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़के, लोक परिवहन	निरुद्ध
4	जल-मल निकासी एवं स्वच्छता	निरुद्ध
5	पेयजल के स्रोत	निरुद्ध
6	पशुओं के लिए जलस्रोत	निरुद्ध
7	सामुदायिक तालाब	निरुद्ध
8	जन सुविधाएँ	निरुद्ध
9	वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि-वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा	निरुद्ध
10	अतिरिक्त उपाय	व्यापक निकाय पर्यन्त

परिसम्पत्तियों का विवरण पत्रक (अनुलग्नक-1)

विषय - श्रीवा - श्री केशव जी बडी कोठर/पारिवारिक निर्माण कार्य
 मौजा - निवाही - पट्टा नं. 2

क्र.	भू-स्वामियों का नाम	खसरा नंबर	परिसम्पत्तियों का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	हरप्रसाद पिता श्रीवा श्रीवा आरामदेव श्रीवा	1.38 57/1	वापरा धोटेन	-
2	शम्भुधर पिता श्रीवा श्रीवा श्रीवा श्रीवा	57/2 1.38	कोर निजीवा	-

170

प्र.एम.ए.

(धारा 6 देखिए)

क्र. 104-अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-6725

मौजा मनउ पट.ह.नं.-42 तहसील बीना

मुख्य परियोजना अभियंता-॥ रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के प्रस्ताव अनुसार द्वारा मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी रेल लाईन के निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा मनउ पटवारी हल्का नंबर-42 तहसील बीना जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 134, 135 रकवा क्रमशः 2.240, 2.890 हे. में से कुल रकवा 0.598 हे. भूमि का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:- प्ररूप-ख एवं ग

प्रारूप-ख

(नियम-5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी रेलवे लाइन निर्माण हेतु।
2	लोक प्रयोजन	भूमि अर्जन के द्वारा मालखेड़ी से महादेवखेड़ी रेलवे लाइन का निर्माण।
3	स्थल	ग्राम मनउ खसरा नं. 134, 135 रकवा 2.240, 2.890 हे. में से कुल रकवा 0.598 हे. अर्जन हेतु।
4	परियोजना का क्षेत्र	0.598 हे.।
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	पारदर्शिता अधिनियम के तहत विकल्पों में से कोई भी विकल्प प्रस्तावित नहीं है।
6	विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	उपरोक्त भूमि पर नियंत्रण - 11 उत्तर मध्य रेलवे अंतर्गत।
7	परियोजना निर्माण के चरण	भूमि अधिग्रहण की जा रही है।
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	संलग्न है।
9	परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि	0.598 हे.।
10	भूमि का मूल्य	2020/21 की गारंटी लाइन के अनुसार।
11	प्रभावित परिवारों/कुटुम्ब की संख्या	02
12	परिसंपत्तियाँ	संलग्न है।
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या	निरंक
14	सामाजिक समाघात	निरंक
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया	निरंक
16	निष्कर्ष	सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के तहत विकल्पों में से कोई भी विकल्प प्रस्तावित नहीं है। अतः भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है।

प्रारूप-ग
(नियम-5 देखिए)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय :-
ग्राम-

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	निरंक
2	लोक और सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ	निरंक
3	आस्तियाँ और अधोसंरचना विशेषकर सड़के, लोक परिवहन	निरंक
4	जल-मल निकासी एवं स्वच्छता	निरंक
5	पेयजल के स्रोत	निरंक
6	पशुओं के लिए जलस्रोत	निरंक
7	सामुदायिक तालाब	निरंक
8	जन सुविधाएँ	निरंक
9	वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन हैं कि-वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा	जल निक्षाल हेतु उचित एवबस्था
10	अतिरिक्त उपाय	डा.पेशक निष्पन्न लक्ष्मण डी

परिसम्पत्तियों का विवरण पत्रक (अनुलग्नक-1)

विषय :- सागर जिले के बीना से नाननगर मालखेड़ी से मालखेड़ी तीसरे
रेलवे लाइन का निर्माण ।

मौजा- मन्डू प. ए. नं. 62 रा. नि. मे - बीना तहसील - बीना जिला - सागर

क.	भू-स्वामियों का नाम	खसरा नंबर	परिसम्पत्तियों का नाम	रिमार्क
1	2	3	4	5
1.	<p>कृष्ण गोपाल प्रभुदत्त आशोक श्रीलक्ष्मी जलराम उदय भानु जिला दीनानाथ जीवा माया उषा दीनानाथ प्रभाशोक (राकेश सुरेश) जिला डेदा नाथ विमला लालिनी जिला भुवनेश्वरी उषा डेदा नाथ राधाकाश जेष्ठा डेदा नाथ सा. छलरावनी ग्राम (लकी)</p>	938	निरंक	-
2.	<p>सुमन जिला गनेश साठ नरेश देहरी ग्राम (लकी)</p>	934	<p>बेरी वृक्ष - 96 बमूरा - 9</p> <p><i>(Signature)</i> 12/7/21</p>	-

(धारा 6 देखिए)

क्र. 101-अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-6732

मुख्य परियोजना अभियंता-॥ रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के प्रस्ताव अनुसार द्वारा मालखेड़ी से महादेव खेड़ी नई बड़ी तीसरी रेल लाईन हेतु समुचित सरकार मौजा देहरी पटवारी हल्का नंबर-35 तहसील बीना जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 35 रकवा क्रमशः 0.990 हे. में से कुल रकवा 0.010 हे. भूमि का अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप-ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न:- प्ररूप-ख एवं ग

प्रारूप-ख
(नियम-5 देखिए)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	बीना ले कोटा, नई बड़ी लाइन निर्माण (देहरी रेल)
2	लोक प्रयोजन	
3	स्थल	ग्राम - देहरी / ख. नं. 769 रकवा 0.990 हे.
4	परियोजना का क्षेत्र	0.010 हे.
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	प्रस्तावित भूमि के प्रतिरूपित अन्य उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं
6	विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	प्ररूप परियोजना अधिनियम 2 रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा
7	परियोजना निर्माण के चरण	इस अधिनियम के तहत समुचित उपरांत नवीन बड़ी लाइन
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे	संलग्न - 1
9	परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि	मौजा देहरी, प. नं. 35 में स्थित ख. नं. 769 रकवा 0.990 हे. में से ले रकवा 0.010 हे.
10	भूमि का मूल्य	वर्ष 2020-21 की गारंटीकरण के अनुसार
11	प्रभावित परिवारों/कुटुम्ब की संख्या	0
12	परिसंपत्तियाँ	कोटा संलग्न
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या	निरंक
14	सामाजिक समाघात	निरंक
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया	निरंक
16	निष्कर्ष	प्रस्तावित भूमि मा. त. के. महादेव खेड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु परिसर पुनर्व्यवस्थापन नहीं होगा. प्रस्तावित भूमि का अधिनियम

प्रारूप-ग
(नियम-5 देखिए)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय :-
ग्राम-

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	कृषि
2	लोक और सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ	पत्रक संलग्न
3	आस्तियाँ और अधोसंरचना विशेषकर सड़के, लोक परिवहन	नहीं
4	जल-मल निकासी एवं स्वच्छता	नहीं
5	पेयजल के स्रोत	नहीं
6	पशुओं के लिए जलस्रोत	नहीं
7	सामुदायिक तालाब	नहीं
8	जन सुविधाएँ	नहीं
9	वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि-वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा	पत्र निम्नांक हेतु उचित व्यवस्था
10	अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि-सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा	अपेक्षक निकाय सहमत है।

परिसम्पत्तियों का विवरण पत्रक (अनुलग्नक-1)

विषय :- मालदेवखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी रेल लाईन का निर्माण बाबत।
मौजा- देहरी

क्र.	भू-स्वामियों का नाम	खसरा नंबर	परिसम्पत्तियों का नाम	रिमाक
1	2	3	4	5
1	कोमल सिंह पिता खूब सिंह नि. ग्राम देहरी	769 रकबा 0.990 हे. में से 0.01 हे. प्रभावित	खेत की मेढ़ पर 5 बबूल के पेड़	

क्र. 11अ-82-21-22-6639

सागर, दिनांक 30 जून 2021

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की बाबिर मटिया नहर विस्तार योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है तथा योजना के निर्माण से ग्राम नीमोन की लगभग 53 हे. भूमि सिंचित होना है एवं योजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त योजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : बाबिर मटिया नहर विस्तार योजना
- (2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
 2. तहसील : बण्डा
 3. ग्राम : नीमोन
 4. पट. ह.नं. : 15
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.84 हे.

::अनुसूची::

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टर में)	अर्जित रकवा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6
1	जयराम सीताराम नर्मदा भरत पि. काशीराम यादव निवासी ग्राम	भूमि स्वामी	178	2.94	0.08
2	कैलाशचंद पिता दीपचंद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	177	1.21	0.06
3	कपूरीबाई पति उत्तमचंद निवासी बण्डा	भूमि स्वामी	176	0.09	0.01
4	उत्तमचंद पिता पन्नालाल	भूमि स्वामी	169/1	0.61	0.03
		भूमि स्वामी	175	1.46	0.02
5	राजकुमार पिता रूपनारायण कारोलिया	भूमि स्वामी	171	0.81	0.07
6	भूपेन्द्र सिंह पिता गंधर्वसिंह (1/5 भाग) केसरी सींग पिता गंधर्वसींग (1/5 भाग), लखनसींग पिता गंधर्वसींग (1/5 भाग), माखनसींग पिता गंधर्वसींग (1/5 भाग) करतारसींग पिता गंधर्वसींग (1/5 भाग)	भूमि स्वामी	153	0.67	0.07
7	धनबाई पुत्री जसरथसींग लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	114	0.35	0.02
8	साहब पिता जसरथसींग सा. देह	भूमि स्वामी	107/1	3.08	0.08
9	लोटनसींग पिता जसरथसींग सा. देह	भूमि स्वामी	107/2	3.09	0.16

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टर में)	अर्जित रकवा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6
10	दम्पू खुमान पिता अनंता बृजरानी बेवा अनंता मोती हल्लू ललता पि नथू मुकेश नरेश ना.वा. पि व पालक लखन मनीषा रामदेवी पि लखन गीता बेवा लखन सा. देह	भूमि स्वामी	108/1	1.25	0.10
11	कस्तूरीबाई पति छतरसींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99	2.14	0.14
TOTAL			12	17.70	0.84

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेंगे, एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के सम्मक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 14-अ-82-भू-अर्जन-2020-21-मुरैना/जड़ेरूआ अति/5998

मुरैना, दिनांक 21 जून 2021

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (उत्तर मध्य रेल मथुरा झॉसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) ग्राम- जरेरूआ ,अतिरिक्त प्रस्ताव प0ह0क0- रा0नि0 वृत्- तहसील -मुरैना उपखण्ड- बानमौर जिला-मुरैना में कुल 0.877 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- जरेरूआ ,अतिरिक्त प्रस्ताव, प0ह0क0- रा0नि0 वृत्- तहसील- बानमौर उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	बानमौर
ग. ग्राम	जरेरूआ
घ. लगभग क्षेत्रफल	0.877 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	1302	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.090	नरेश पुत्र भोजराम हि 1/2 केषकली बेवा करतार रिकू गौरव रचना पि करतार सभा हि 1/2 जाति गु ठा निवासी ग्राम
2	1344	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100	रामलखन, राधेश्याम, रामजवीर, रामवीर सिंह पुत्रगण लायक सिंह जाति गु0 ठा0 पता निवासी ग्राम
3	1345	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.268	भूपेन्द्र ना बा0 पि लज्जाराम राजाबेटी बे. लज्जाराम स0भा0 हि 1/2 माता प्रसाद पि बाबु हि 1/2 जाति गु0 ठा0 पता निवासी ग्राम
4	1346	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.194	मु. रामवती बेवा बाबूलाल पप्पन कालीचरन जीतेन्द्र पिता बाबूलाल राजाबेटी नाबा0 पि0 बाबूलाल समान भाग जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम
5	1347/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.078	रामवरन पुत्र रामकिषुन जाति कुषवाह नि ग्राम भूमिस्वामी

6	1347/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.077	नरेश पुत्र रामकिषुन जाति कुषवाहनिग्रामभूमिस्वामी
7	1348	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.035	रामलखन, राधेश्याम, रामजवीर, रामवीर सिंह पुत्रगण लायक सिंह जाति गु0 ठा0 पता निवासी ग्राम
8	1356	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.0350	रामसेवक दिलीपकुमार पिता द्वारिका प्रसाद जाति ब्रा पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 3.50
कुल किता 08 व कुल अर्जित रकवा				0.877	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विषेय :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र. क्र. 07-अ-82-2020-21-भू-अर्जन-उ.म.रे.-अलापुर-6208

मुरैना, दिनांक 28 जून 2021

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम-अलापुर, तहसील-जौरा, जिला-मुरैना में कुल रकवा 2.830 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला-मुरैना, तहसील-जौरा के ग्राम-अलापुर, प0ह0नं0-62, रा0नि0वृत0-04 में उक्त परियोजना के लिये 2.830 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है :-

स. क्र.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	424	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.124	ईदगाह।
2	425	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.061	हरगोविन्द नरोत्तम नवल किशोर कोशल किशोर पुत्रान तेजसिंह समान भाग 4/10 मनोरमा बेवा महेश भक्त वत्सल पुत्र महेश समान भाग 1/10 राजा मीरा रजनी नीलम रीता पुत्रियां तेजसिंह सभाग 1/2 दर भाग 3317 व0फू0 जाति शिवहरे कलावती बेवा कुढरी निर्मला पुत्री कुढरी समान भाग 3318 व0फू0 जाति महाजन राजेश कुमार पुत्र रामकृष्ण भाग 2365 व0फू0 जाति स्वर्णकार पता निवासी जौरा भूमि स्वामी।
3	590/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.036	चम्बल कालौनी, आबादी
4	591	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.119	चम्बल कालौनी, आबादी
5	592	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.063	औकाफ डिपार्टमेंट अन्नी 1.31 प्रबन्धक कलेक्टर मुरैना।
6	594	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.091	चम्बल कालौनी, आबादी
7	595	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.031	चम्बल कालौनी, आबादी
8	596	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.052	चम्बल कालौनी, आबादी
9	597	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.077	चम्बल कालौनी, आबादी
10	598	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.108	चम्बल कालौनी, आबादी
11	599	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.106	चम्बल कालौनी, आबादी
12	1032	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.010	रत्नगिरि पुत्र बलदेवगिरि पट्टा ग्रहीता औकाफ डिपार्टमेंट प्रबन्धक कलेक्टर महोदय मुरैना जाति गुसाई पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।

13	1033	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.139	मो० असगरखां, मो० एहसानखां पुत्रान रामजानखां 1/3 समान, सूलतान अहम्मद पुत्र दायमखां 1/3 खेरून पुत्री बुन्दू खां 1/3 जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।
14	1034	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.069	रत्नगिरि पुत्र बलदेवगिरि पट्टा ग्रहीता औकाफ डिपार्टमेंट प्रबन्धक कलेक्टर महोदय मुरैना जाति गुसाई पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
15	1035	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.066	ग्यासीराम दर्शनलाल पुत्रान रमले जाति कोरी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 4.90।
16	1036/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.054	अहमद हुसैन खां पुत्र वावूखां जाति मुसलमान भा० 16/31 रकवा 111/1 विश्वा भूमिस्वामी
17	1037/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.068	राजकुमार जगदीश पुत्रगण बेदरिया उर्फ वेदराम स भाग जाति किरार नि ग्राम भूमिस्वामी।
18	1212	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.133	आशाराम पुत्र मुल्ला भाग 7568 वर्गफीट जाति नाई नि० जौरा विनीता सिंघल पत्नी दिलीप भाग 10500 वर्गफीट जाति वैश्य नि० जौरा पुष्पा यादव पत्नी सिकन्दर भाग 3025 वर्गफीट जाति किरार नि० जौरा लक्ष्मीकान्त संतकुमार अरबिन्द कुमार पुत्रगण लालजीत समान भाग 11250 वर्गफीट जाति ब्रा० नि० मुदावली मुकेश वशिष्ठ पुत्र द्वारिकाप्रसाद भाग 6750 वर्गफीट जाति ब्रा० पता नि० ग्राम मुदावली भूमिस्वामी।
19	1214/1 1214/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.004	रामदयाल पुत्र नन्दराम भाग 1/2 सुनीता बेवा राजेश चाहत नाबा पुत्री राजेश आयुष नाबा पुत्र राजेश सर मा खुद समान भाग 1/6 भीकम पुत्र रामदयाल भाग 1/6 जाति किरार नि गिरजा पत्नी दिनेश शर्मा जाति ब्राह्मण हि० 1/6 निवासी मुंदावली भूमिस्वामी।
20	1215/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.088	सुल्तानसिंह पुत्र रामभजन 1/12 भूरी पुत्री रामभजन भाग 1/12 पता नि० ग्राम दर भाग 1/3 भाग भूमि स्वामी नबाब सिंह पुत्र बालकिशान भाग 1/3 रहमान खां नबाब खां अरमान खां नावा० पुत्रान फरीद खां सर० भाई रहमान खां जाति मुसलमान पता नि० ग्राम स० भाग 1/3 भाग भूमि स्वामी।
21	1219/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.060	सुलतानसिंह पुत्र रामभजन 1/12 भूरी पुत्री रामभजन भाग 1/12 पता नि० ग्राम दर भाग 1/3 भाग भूमि स्वामी नबाबसिंह पुत्र बालकिशन भाग 1/3 रहमान खां नबाब खां अरमान खां नावा० पुत्रान फरीद खां सर० भाई रहमान खां जाति मुसलमान पता नि० ग्राम स० भाग 1/3 भाग भूमि स्वामी

22	1220	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.092	सुलतानसिंह पुत्र रामभजन 1/12 भूरी पुत्री रामभजन भाग 1/12 पता नि० ग्राम दर भाग 1/3 भाग भूमि स्वामी नबाबसिंह पुत्र बालकिशन भाग 1/3 रहमान खां नबाब खां अरमान खां नाबा० पुत्रान फरीद खां सर० भाई रहमान खां जाति मुसलमान पता नि० ग्राम स० भाग 1/3 भाग भूमि स्वामी
23	1222/ क	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.051	सूबेदारसिंह सरदारसिंह जगदीशसिंह मुन्नासिंह महेन्द्रसिंह पिस० बावूसिंह अनीता पुत्री बावूसिंह स० भाग 5/8 लक्ष्मी पत्नी रामजीलाल भाग 1/8 प्रीतम पिस० हरमोहन समान भाग 1/8 जाति किरार पता नि० ग्राम भूमिस्वामी नेतराम राजेन्द्र कल्याण सिंह पुत्रान भोगीराम कमला चन्द्रकला उर्मिला पुत्रियां भोगीराम जाति किरार पता नि० ग्राम समान 1/8 भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.56
24	1223	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.086	रामभरोषी पुत्र वीघाराम जाति किरार पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 5.81
25	1225	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.102	दशरथ राघवेन्द्र पुत्रान मूरली नावा० अनीता पुत्री मुरली नावा० नावा० सरप मां० खुद अंगुरी बेवा मुरली स० भाग 4/5 अतुल पुत्र रामवीर सोनू पत्नी रामवीर समान भाग 1/5 जाति किरार पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.31
26	1226	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.010	अमृतलाल रमेश बाबूलाल दर्शनलाल पुत्रान छिद्दीराम व देवश्री बेवा छिद्दीराम जाति किरार पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.15
27	1227	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.080	अमृतलाल रमेश बाबूलाल दर्शनलाल पुत्रान छिद्दीराम व देवश्री बेवा छिद्दीराम जाति किरार पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.15
28	1228	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.085	मंदिर पुख्ता श्रीपारसनाथ कस्बा जौरा माफी अतीफ सरकार प्रबन्धक कलेक्टर महोदय मुरैना पता नि० ग्राम औकाफ डिपार्टमेन्ट
29	1229	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.187	मंदिर पुख्ता श्री पारसनाथ कस्बा जौरा माफी अतीफ सरकार प्रबन्धक कलेक्टर महोदय मुरैना।
30	1231	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.106	गुड्डी पुत्री चिन्दू जाति घोवी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 15.94
31	1241	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.020	दशरथ राघवेन्द्र पुत्रान मूरली नावा० अनीता पुत्री मुरली नावा० नावा० सरप मां० खुद अंगुरी बेवा मुरली स० भाग 4/5 अतुल पुत्र रामवीर सोनू पत्नी रामवीर समान भाग 1/5 जाति किरार पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 10.00

32	1297/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.057	रमेशचन्द्र रामहेत पुत्रगण मंगलिया बसन्ती उर्मिला बाई मित्ता बाई नर्मदा पुत्रियां मंगलिया समान भाग जाति घोवी पता नि0 ग्राम भूमि स्वामी।
33	1297/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.052	बैजनाथ पुत्र कमला जाति धेबी पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
34	1298/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.058	रामजीलाल पुत्र हीरालाल जाति किरार पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.28
35	1298/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.053	सूबेदार सिंह सरदार सिंह जगदीश सिंह मुन्ना सिंह महेन्द्र सिंह पुत्रान बाबूसिंह जाति किरार पता नि0 ग्राम स0 भाग भूमिस्वामी
36	1306	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.066	नेतराम रामदयाल रामचरन पुत्रगण चौखरिया स0 भग 3/4 रामनिवास नरेन्द्र संजय अजय पुत्रगण मोतीराम स0 भाग 1/4 जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी।
37	1307	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.040	विनोद पुत्र भगवानलाल भाग 3/4 राजकुमारी पुत्री भगवानलाल भाग 1/4
38	1310	भूमिस्वामी	कृषिभूमि	0.126	आशा पत्नी वीरेन्द्र कुमार जाति ब्रा0 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1309/1
योग	कुल किता 38			2.830	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	भैसदेही	बगदरा	0.240	भैसदेही से बगदरा मार्ग

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र०	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	कुलअर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	मल्लू व० मन्नू जाति कोरकू सा देह भूमि स्वामी	65/1	1.017	0.140
2	मुन्ना व० चिन्ध्या जाति कोरकू सा देह भूमि स्वामी	65/2	1.018	0.100
योग :-		-	2.035	0.240

(2) चूंकि भैसदेही-बगदरा मार्ग का निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सं. 395

शिवपुरी, दिनांक 16 जुलाई 2021

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ दिदावनी ग्राम खनियाधाना तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) शिवपुरी जिला में कुल 4.73 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. अर्थात्, । इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है. जो 4.73 हेक्टेयर है जो ग्राम दिदावनी तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) खनियाधाना जिला शिवपुरी में है. जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र.सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	कुल क्षेत्र (हे.)	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	कृषक का नाम पिता/पति का नाम निवास स्थान	संरचनाओ आदि का ब्यौरा	
							संख्या	प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	3	भूमि स्वामी	असिंचित	0.10	0.07	धनुआ पुत्र भरतुवा		
	4	भूमि स्वामी	असिंचित	0.18	0.14			
	6	भूमि स्वामी	असिंचित	0.38	0.01			
2	51	भूमि स्वामी	सिंचित	0.15	0.15	सिल्ला पुत्र बलदेवा		
	55	भूमि स्वामी	असिंचित	0.42	0.03			
	56	भूमि स्वामी	असिंचित	0.45	0.01			
3	9	भूमि स्वामी	असिंचित	0.88	0.17	ऊधमसिंह पुत्र लालसिंह जाति यादव 1/15 कैलाश पुत्र राधुराजसिंह जाति यादव 1/5 रातरतन पुत्र रघुराजसिंह हि. 1/5 त्रिलोकसह पुत्र रघुराजसिंह जाति यादव 1/5 जसवंतसिंह पुत्र रघुराजसिंह 1/5 सत्यमनसिंह पुत्र लालसिंह जाति यादव 1/15 सरूपसिंह पुत्र लालसिंह जाति यादव 1/15		
4	10	भूमि स्वामी	असिंचित	0.43	0.05	प्रम्यतवाई वेवा घूमन जाति सेहर 1/5 मोहन पुत्र घूमन जाति सेहर 1/5 मुकेश पुत्र घूमन जाति सेहर 1/5 घूमन पुत्र घूमन जाति सेहर 1/5 प्रेम पुत्री घूमन जाति सेहर 1/5		
5	11/1	भूमि स्वामी	असिंचित	1.00	0.35	कैलाश त्रिलोक 3/5 रामरतन 2/5 पुत्र रघुराज		

6	11/2	भूमि स्वामी	असिंचित	0.57	0.25	सकुनबाई पत्नी ग्यासिया 1/2 चन्ना पुत्र शिब्बा 1/2		
7	52/1	भूमि स्वामी	असिंचित	1.53	1.47	अमोल पुत्र प्रेमा जाति सेहर		
8	52/2	भूमि स्वामी	असिंचित	1.52	0.76	कलिया देवा हरी विनोद पुत्र हरिराम राधो नावा पुत्र हरी पूजा पुत्री हरी सर मां जाति सेहर हरी पुत्र रधू		
9	629	भूमि स्वामी	असिंचित	0.42	0.06	रामदास रामस्वरूप पुत्र धिल्ला 1/2 कोमल पुत्र देवसिंह 1/3 रामराजा अजय नावा पुत्र आशाराम सर पिता स्वयं 1/16 जाति लोधी		
10	650	भूमि स्वामी	असिंचित	1.79	0.65	राकेश पुत्र बदरू 1/108 हिमनिया देवा जनका 1/20 रामा पुत्र जनका		
	1526/653	भूमि स्वामी	असिंचित	2.49	0.32	1/20 भगवानदास पुत्र जनका 1/20 तुलसा पुत्र जनका 1/20 वीरन		
	654	भूमि स्वामी	असिंचित	1.33	0.24	पुत्र जनका 1/20 कलिया पुत्री गंभीरा 1/4 माया पुत्री गंभीरा 1/4 श्यामा मन्थु पुत्र करन्जू 1/6 धनु सावित्री लक्ष्मी पुत्री बदरू 3/108 सियाराम पुत्र बदरू 1/108 निम्माबाई बेबा बदरू लाखन पुत्र बदरू 1/108 मुन्ना पुत्र बदरू 1/108 दीपचन्द्र नावालिक पुत्र बदरू सरक्षक माता निम्माबाई 1/108		
कुल योग	16			4.73				

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या निशून्य है।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भी भाग में पड़े कोयला, लौहा पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने है, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जन की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटायें या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी एव अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

अक्षयकुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2021

क्र. एफ 01-23-2018-सात-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, संभाग ग्वालियर के जिला ग्वालियर की तहसील ग्वालियर, मुरार एवं सिटीसेंटर की सीमाओं को परिवर्तित करने एवं नवीन ग्वालियर ग्रामीण तहसील सृजित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है।

“मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, को अग्रेषित किए जा सकेंगे:—

अनुसूची

क्र.	विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान तहसील में सम्मिलित किए जाने वाले या उससे अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण)	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील में समाविष्ट किए गए क्षेत्रों के विवरण	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील की सीमाएँ	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ग्वालियर (मुख्यालय लश्कर).	अपवर्जित किए जाने वाला क्षेत्र वर्तमान तहसील ग्वालियर के कुलैथ सर्किल के पटवारी हल्का क्रमांक 1, 2, 8 से 17, पुरानी छावनी सर्किल के पटवारी हल्का क्रमांक 3 से 7, 18, 19 एवं 30 बहोडापुर सर्किल के पटवारी हल्का क्रमांक 20 एवं 21 तथा गिरवाई सर्किल के पटवारी हल्का क्रमांक 33, 34, 39 एवं 40, इस प्रकार कुल 26 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे.	ग्वालियर (मुख्यालय लश्कर).	वर्तमान तहसील ग्वालियर के पुरानी छावनी सर्किल के पटवारी हल्का क्रमांक 23 बहोडापुर सर्किल के पटवारी हल्का क्रमांक 22, 24, 25, 29 एवं 31 लश्कर सर्किल के पटवारी हल्का क्रमांक 26 से 28, 32, 35 एवं 36, गिरवाई सर्किल के पटवारी हल्का क्रमांक 37 एवं 38 इस प्रकार कुल 14 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.	पूर्व में तहसील मुरार पश्चिम प्रस्तावित तहसील ग्वालियर ग्रामीण उत्तर प्रस्तावित तहसील ग्वालियर ग्रामीण दक्षिण में प्रस्तावित तहसील ग्वालियर ग्रामीण.	वर्तमान तहसील में कुल 40 हल्के 83 ग्राम हैं, प्रस्ताव के पश्चात् 14 हल्के 31 ग्राम होंगे.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	सिटी सेन्टर (मुख्यालय ग्राम ओहदपुर ग्वालियर).	सम्मिलित किए जाने वाला क्षेत्र वर्तमान तहसील मुरार के मुरार सर्किल के पटवारी हल्का क्रमांक 4, 23 एवं 25 इस प्रकार कुल 3 पटवारी हल्के सम्मिलित होंगे. अपवर्जित किये जाने वाला क्षेत्र वर्तमान तहसील सिटीसेंटर के सर्किल महलगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 11 से 14 सर्किल मेहरा के पटवारी हल्का क्रमांक 3, 5, 8, 15 एवं 16 सर्किल उटीला के पटवारी हल्का क्रमांक 6, 7, 17 से 22 इस प्रकार कुल 17 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे.	सिटी सेन्टर (मुख्यालय ग्राम ओहदपुर ग्वालियर).	वर्तमान तहसील मुरार के सर्किल मुरार के पटवारी हल्का क्रमांक 4, 23 एवं 25 तथा वर्तमान तहसील सिटी सेन्टर की सर्किल महलगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 2, 9 एवं 10 सर्किल मेहरा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 एवं 4 इस प्रकार कुल 8 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.	पूर्व में प्रस्तावित तहसील मुरार पश्चिम में तहसील ग्वालियर उत्तर में विद्यमान तहसील मुरार दक्षिण में तहसील ग्वालियर ग्रामीण.	वर्तमान तहसील में कुल 22 हल्के 52 ग्राम हैं, प्रस्ताव के पश्चात् 8 हल्के 18 ग्राम होंगे.
3	मुरार (मुख्यालय मुरार).	सम्मिलित किए जाने वाला क्षेत्र वर्तमान तहसील सिटीसेंटर के सर्किल मेहरा के पटवारी हल्का क्रमांक 3, 5 एवं 8 सर्किल उटीला के पटवारी हल्का क्रमांक 6, 7, 18 से 22 इस प्रकार 10 पटवारी हल्के सम्मिलित होंगे तथा अपवर्जित किये जाने वाला क्षेत्र वर्तमान तहसील मुरार के सर्किल मुरार के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 4, 23 एवं 25 इस प्रकार कुल 06 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे.	मुरार (मुख्यालय मुरार).	वर्तमान तहसील मुरार के सर्किल मुरार के पटवारी हल्का क्रमांक 5 से 8, सर्किल बड़ागांव के पटवारी हल्का क्रमांक 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 34 से 37 सर्किल सुपावली के पटवारी हल्का क्रमांक 9 से 18, 21, 28, 31 से 33 वर्तमान तहसील सिटीसेंटर की सर्किल मेहरा के हल्का क्रमांक 3, 5 एवं 8 सर्किल उटीला के पटवारी हल्का क्रमांक 6, 7, 18 से 22 इस प्रकार कुल 41 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.	पूर्व में तहसील तानसेन पश्चिम में तहसील सिटीसेंटर उत्तर में तहसील गोहद जिला भिण्ड. दक्षिण में तहसील डबरा.	वर्तमान तहसील में कुल 37 हल्के 84 ग्राम हैं, प्रस्ताव के पश्चात् 41 हल्के 81 ग्राम होंगे.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	-	-	ग्वालियर ग्रामीण (मुख्यालय ग्वालियर) नवीन तहसील.	वर्तमान तहसील मुरार के सर्किल मुरार के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 3, वर्तमान तहसील सिटीसेंटर के सर्किल महलगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 11 से 14 सर्किल मेहरा के पटवारी हल्का क्रमांक 15 व 16 सर्किल उटीला के पटवारी हल्का क्रमांक 17, वर्तमान तहसील ग्वालियर की सर्किल कुलैथ के पटवारी हल्का क्रमांक 1, 2, 8 से 17, सर्किल पुरानीछावनी के पटवारी हल्का क्रमांक 3 से 7, 18, 19 एवं 30 सर्किल बहोडापुर के पटवारी हल्का क्रमांक 20 एवं 21 सर्किल गिरवाई के पटवारी हल्का क्रमांक 33, 34, 39 एवं 40 इस प्रकार कुल 36 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.	पूर्व में तहसील ग्वालियर पश्चिम में तहसील जौरा जिला मुरैना उत्तर में तहसील बामोर, जिला मुरैना दक्षिण में तहसील घाटीगांव एवं तहसील चीनोर.	उक्त तहसील नवीन सृजित हो रही है. प्रस्ताव के पश्चात् 36 हल्के 89 ग्राम होंगे.

2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.